रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33004/99 REGISTERED NO. D. L.—33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1999/वैशाख 25, 1921
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1999/VAISAKHA 25, 1921

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)**

**General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1999

सा.का.नि. 141.—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्य सेवा शर्त) नियम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्य सेवा शर्त) संशोधन नियम, 1999 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्य सेवा शर्त) नियम, 1970 में—

(क) नियम 3 के उपनियम (3) में "आठ हजार" शब्दों के स्थान पर "छब्बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) नियम 4 में "1 जनवरी, 1986 से ही 7300-100-7600 रु. के वेतनमान में वेतन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 जनवरी, 1996 से ही 22,400-525-24,500 रु. के वेतनमान में वेतन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[सं. ए-12018/5/98-प्र. (i)]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्य सेवा शर्त) नियम, 1970 के नियम 4 का संशोधन

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के वेतनमान और भत्तों में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पहली जनवरी, 1996 से ऊपरी पुनरीक्षण किया गया था । परिणामस्वरूप आयोग के सदस्यों के वेतनमान और भत्तों को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया गया था । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से उस तारीख से, जो 1 जनवरी, 1986 से पहले की न हो, आयोग सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । अतः सदस्यों के वेतनमान और भत्तों को भूतलक्षी रूप से 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित करने के लिए नियम 4 में यथोचित संशोधन किया जा रहा है । इस संशोधन के जारी किए जाने और इसे भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

अधिसूचनाएं :—

(1) सा.का.नि. 1122 दिनांक 1-8-1970
(2) सा.का.नि. 371(ई) दिनांक 23-8-1974
(3) सा.का.नि. 448 (ई) दिनांक 12-7-1976
(4) सा.का.नि. 767 दिनांक 9-6-1979
(5) सा.का.नि. 508(ई) दिनांक 7-9-1981
(6) सा.का.नि. 1(ई) दिनांक 1-1-1988

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 29th April, 1999

G.S.R. 141.—In exercise of he powers conferred by sub-section (5) of section 6 read with section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1st day of January, 1996.

2. In the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970 :—

(a) in sub-rule (3) of rule 3, for the words "eight thousand" the words "twenty-six thousand" shall be substituted :

(b) in rule 4, for the words, figures and letters "on and from the 1st day of January, 1986 a salary in the scale of rupees 7300-100-7600", the words, figures and letter "on and from the 1st day of January, 1996, a salary in the scale of pay rupees 22400-525-24500" shall be substituted.

[No. A-12018/5/98-Ad.I]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Amendment to Rule 4 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970

The scale of pay and allowances of Central Government officers were revised upwards with effect from the 1st of January, 1996, on the implementation of the recommendations of the Fifth Central Pay Commission. Consequently, a decision was taken to revise the scales of pay and allowances of Members of the Commission. Section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, empowers the Central Government to make rules in relation to the conditions of service of the Members of the Commission retrospectively to a date not earlier than 1st January, 1986. Rule 4 is, therefore, suitably amended to revise the scale of pay and allowances of the Members retrospectively from 1st January, 1996. No person is likely to be adversely affected by the issue of the amendment and giving it retrospective effect.

NOTIFICATIONS

(1) GSR 1122 dated 1-8-1970.
(2) GSR 371(E) dated 23-8-1974.
(3) GSR 448(E) dated 12-7-1976.
(4) GSR 767 dated 9-6-1979.
(5) GSR 508(E) dated 7-9-1981.
(6) GSR 1(E) dated 1-1-1988.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1999

प्रस्तावित विनियम का प्रारूप

देना बैंक सामान्य विनियम, 1998

सा.का.नि. 142 :—देना बैंक का निदेशक मण्डल बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों को देना बैंक सामान्य विनियम, 1998 कहा जा सकेगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक कि उनके विषय अथवा संदर्भ या तात्पर्य में कुछ भी प्रतिकूल न हो :—

(क) "अधिनियम" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5/1980 का 40) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित देना बैंक अभिप्रेत है।

(ग) "मण्डल" से उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित निदेशक मण्डल अभिप्रेत है।

(घ) "अध्यक्ष" से उक्त मण्डल का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ङ) "समिति" से उक्त मण्डल द्वारा यथागठित समिति अभिप्रेत है।

(च) "कार्यपालक निदेशक" से पूर्णकालिक निदेशक किन्तु प्रबंध निदेशक नहीं, अभिप्रेत है।

(छ) "महा प्रबंधक" से बैंक का महा प्रबंधक अभिप्रेत है।

(ज) "प्रबंधन समिति" से उक्त योजना के खण्ड 13 के अधीन गठित समिति से अभिप्रेत है।

(झ) "प्रबंध निदेशक" से बैंक का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है।

(ञ) "रजिस्टर" से बैंक की एक या उससे अधिक बहियों में रखा गया शेयरधारकों का रजिस्टर अभिप्रेत है और जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ठ) के अधीन कंप्यूटर फ्लापियों अथवा डिस्केटों में रखा गया शेयरधारकों का रजिस्टर शामिल है।

(ट) "पंजीयक" से बैंक द्वारा निम्नलिखित के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है:—

(i) किसी निर्गम के संबंध में निवेशकों से आवेदन पत्र एकत्रित करना।

(ii) निवेशकों से प्राप्त आवेदनों एवं धनराशियों और प्रतिभूतियों के विक्रेताओं को भुगतान की गई धन राशियों का समुचित अभिलेख रखना।

(iii) बैंक को निम्नलिखित कार्य में सहायता करना :

(क) शेयर बाजार के परामर्श से प्रतिभूतियों के आवंटन के आधार का विनिश्चय करना।

(ख) प्रतिभूतियों के आवंटन के पात्र व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप प्रदान करना।

(ग) उक्त निर्गमन से संबंधित आवंटन पत्रों, वापसी आदेशों अथवा प्रमाणपत्रों एवं अन्य संबंधित प्रलेखों की छानबीन और उनका प्रेषण, एवं

(iv) बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले ऐसे ही अन्य कार्य करना,

(ठ) "योजना" से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/80 अभिप्रेत है।

(ड) "शेयर" से बैंक की शेयरपूंजी में शेयर अभिप्रेत है।

(ढ) "शेयर अंतरण अभिकर्ता" में निम्नलिखित का समावेश है :

(i) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो बैंक की ओर से बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के धारकों के अभिलेख रखता हो तथा उसकी प्रतिभूतियों के अंतरण एवं शोधन से संबंधित मामलों की देख-रेख करता हो, अथवा

(ii) उपवाक्य (i) में यथावर्णित गतिविधियों का संचालन करने वाला बैंक का (जिस किसी भी नाम से ज्ञात) विभाग या प्रभाग

(ण) अध्याय 3 में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित किन्तु डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अभिप्राय उक्त अधिनियम में उनसे अभिप्रेत अभिप्राय ही होगा।

(त) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उक्त अधिनियम या योजना में प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियों का अभिप्राय अधिनियम अथवा योजना में उनसे अभिप्रेत अभिप्राय ही होगा।

## अध्याय—2
## शेयर एवं शेयर रजिस्टर

3. शेयरों का स्वरूप—बैंकों के शेयर चल संपत्ति होंगे, जो इन विनियमों के अधीन किए गए प्रावधान के अनुरूप हस्तांतरणीय होंगे।

4. शेयर पूंजी के प्रकार:—

(i) अधिमानी शेयर पूंजी से अभिप्रेत है बैंक की शेयर पूंजी का वह अंश जो निम्नलिखित दोनों ही शर्तें पूरी करता हो —

(क) जहां तक लाभांशों का संबंध है वे इस आशय के अधिमानी अधिकार रखते हैं जिसके अधीन एक नियत रकम या नियत दर पर परिकलित किसी ऐसी रकम का भुगतान करना होता है जो आयकर से या तो मुक्त होती है या फिर उसके अधीन होती है।

(ख) जहां तक पूंजी का संबंध है वह इस आशय के अधिमानी अधिकार रखती है या रखेगी, जिनके अधीन समापन पर पूंजी की चुकौती का इस प्रकार प्रावधान होगा कि चुकता की गई या चुकता मानी गई पूंजी की रकम चुकता की जाए चाहे निम्नलिखित प्रकार की दोनों रकमों में से किसी भी एक या दोनों रकमों के भुगतान के लिए अधिमानी अधिकार हों या न हों, अर्थात् :—

(क) समापन की तिथि या पूंजी की चुकौती की विधि तक खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रकमों से संबंधित भुगतान के लिए कोई भी रकम तथा

(ख) केन्द्रीय सरकार की पूर्व-सहमति से मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी नियत प्रीमियम या किसी नियत मान पर प्रीमियम ।

(ii) "इक्विटी शेयर पूंजी" से अभिप्रेत है ऐसी समस्त शेयर पूंजी जो अधिमानतः शेयर पूंजी न हो ।

(iii) "अधिमानतः शेयर" और "इक्विटी शेयर" अभिव्यक्तियों से तदनुसार अभिप्रेत होगा ।

5. रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले विवरण :

(i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(च) के अनुसार एक रजिस्टर बनाया जाएगा, रखा जाएगा और उसे अद्यतन रखा जाएगा ।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(च) में विनिर्दिष्ट विवरणों के अलावा उक्त रजिस्टर में ऐसे अन्य विवरण भी दर्ज किए जाएंगे जो मण्डल द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

(iii) किसी शेयर के संयुक्त धारक होने की स्थिति में उप-विनियम (i) द्वारा अपेक्षित उनके नाम एवं अन्य विवरण ऐसे संयुक्त धारकों के प्रथम नाम के अधीन वर्गीकृत किए जाएंगे ।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(घ) के परन्तुक के अधीन भारत के बाहर निवास करने वाला कोई शेयरधारक बैंक को भारत के भीतर वाला कोई पता प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा कोई भी पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और वह उक्त अधिनियम एवं इन विनियमों के प्रयोजन हेतु उसका पंजीकृत पता माना जाएगा ।

(v) किसी न्यास (ट्रस्ट) की स्पष्ट, निहित या प्रलक्षित किसी भी स्वरूप के नोटिस को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा अथवा वह बैंक द्वारा प्राप्य नहीं होगी ।

6. शेयरों और रजिस्टरों पर नियंत्रण :—उक्त अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों तथा मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अधीन उक्त रजिस्टर (बैंक का नाम) के प्रधान कार्यालय में बनाया और रखा जाएगा तथा वह मण्डल के नियंत्रणाधीन रहेगा एवं किसी शेयर के संबंध में कोई व्यक्ति शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु पात्र है या नहीं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अंतिम होगा ।

7. ऐसी पार्टियां जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत नहीं की जा सकती :

(i) इन विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधानों के अलावा ऐसे सभी व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम नहीं हैं, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इस संबंध में मण्डल का निर्णय निर्णायक एवं अंतिम होगा ।

(ii) फर्मों के मामले में शेयरों को अलग-अलग भागीदारों के नाम पर पंजीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार कोई भी फर्म शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने की पात्र नहीं होगी ।

8. कंप्यूटर प्रणाली आदि में शेयर रजिस्टर का रख-रखाव।

(i) विनियम 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (च) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने हेतु आवश्यक विवरण उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (छ) के अधीन प्रधान कार्यालय में रखे जाने वाले कम्प्यूटरों में डिस्केटों, फ्लापियों, कार्ट्रिजों या अन्यथा [जिन्हें इसमें इसके बाद "माध्यम (मीडिया)" कहा गया है] के रूप में चुम्बकीय/चाक्षुषीय/चुम्बकीय-चाक्षुषीय मीडिया में भंडारित आंकड़े के रूप में रखे जाएंगे और उनकी मूलभूत सामग्री (बैंक अप) ऐसे स्थान पर रखी जाएगी, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर पदनामित किए जाने वाले कम से कम महा प्रबंधक की श्रेणी के किसी अधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद "उक्त पदनामित अधिकारी" कहा गया है), द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(ii) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 11 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3(ख) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने हेतु आवश्यक विवरण उसमें निर्धारित तरीके और विधि से इलेक्ट्रानिक रूप में रखे जाएंगे ।

9. कंप्यूटर प्रणाली के संरक्षण हेतु पूर्वोपाय :

(i) विनियम 8(1) में निर्धारित उस प्रणाली, जिसमें आंकड़े भंडारित किए जाते हों, तक पहुंच केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमान्धित होगी जिनमें किसी निर्गम

के ऐसे पंजीयक और/अथवा शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता शामिल होंगे, जो इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदनामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये गये हों तथा उसके पासवर्ड, यदि कोई हों एवं इलेक्ट्रानिक सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली को उपयुक्त व्यक्तियों के अभिरक्षण में गोपनीय रखा जाएगा ।

(ii) प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को कंप्यूटर प्रणाली द्वारा लॉगबुक में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे लॉग को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदनामित अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित अधिकारियों/व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा ।

(iii) मूलभूत सामग्री (बैक अप) की प्रतियां स्थानांतरणीय मीडिया में ऐसे अंतरालों पर निकाली जाएंगी जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदनामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें शेयरधारकों के रजिस्टर में किए गये परिवर्तन भी शामिल होंगे। इन प्रतियों की कम से कम एक प्रति ऐसे स्थान पर भंडारित की जाएगी जो कि इस परिसर से अलग हो जिसमें उसकी जांच पड़ताल की जा रही हो । इस प्रति को किसी ऐसे अग्निसह पर्यावरण में भंडारित किया जाएगा, जिसमें ताला लगाए जाने की व्यवस्था हो तथा जहां का तापमान अपेक्षित स्तर वाला हो । दोनों ही स्थानों पर रखी गयी मूलभूत सामग्रियों (बैक अप) तक प्रवेश केवल उन्हीं व्यक्तियों तक प्रतिबंधित होगा, जो इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदनामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत हों । इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्तियों को अपने को अपने प्रवेश को उक्त स्थान पर रखे गए दस्ती रजिस्टर में अभिलिखित करना होगा ।

(iv) प्राधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे मूलभूत सामग्री (बैक अप) के आंकड़ों का कंप्यूटर प्रणाली के आंकड़ों के समुचित सॉफ्टवेयर से मिलान करें, ताकि मूलभूत सामग्री (बैक अप) की शुद्धता सुनिश्चित हो सके । इस कार्य के परिणाम को इस प्रयोजन हेतु रखे गये रजिस्टर में अभिलिखित करना होगा ।

(v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए यह विधि-सम्मत होगा कि वह किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा प्रौद्योगिकी के विकास और/अथवा शर्तों की अपरिहार्यता या किसी अन्य सम्बद्ध कारण के उचित आधार पर कंप्यूटर प्रणाली में रखे जाने वाले शेयरधारकों के रजिस्टर में बरते जाने वाले पूर्वोपायों से संबंधित अनुदेशों को परिवर्धित या आशोधित करें।

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :—यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हो तो रजिस्टर में पहले नामोल्लिखित व्यक्ति को, मतदान, लाभांश प्राप्ति, नोटिसें देने तथा शेयर हस्तांतरण के अलावा बैंक से संबंधित सभी या किसी मामले में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

11. रजिस्टर का निरीक्षण :

(i) उक्त रजिस्टर विनियम 12 के अधीन बंद रखे जाने के अलावा किसी भी शेयरधारक के निःशुल्क निरीक्षण के लिए कारोबार के समय के दौरान जिस स्थान पर उसे रखा गया हो, उस स्थान पर, ऐसे उपयुक्त प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध रहेगा, जो मण्डल द्वारा लगाए जाएं, किन्तु वह इस प्रकार उपलब्ध रहेगा कि प्रत्येक कामकाज के दिन कम से कम दो घन्टे के लिए निरीक्षण की अनुमति रहे।

(ii) कोई भी शेयरधारक उक्त रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को निःशुल्क उद्धृत कर सकेगा अथवा यदि वह उक्त रजिस्टर या उसके किसी हिस्से की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहे तो उसे नकल किए जाने वाले प्रत्येक 100 शब्द या उसके आनुपातिक हिस्से के लिए रु. 5/-की दर से पूर्व-भुगतान किए जाने पर वह उपलब्ध हो सकेगी।

(iii) उप-विनियम (ii) में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी विहित रूप से प्राधिकृत किसी सरकारी अधिकारी को उक्त रजिस्टर में की गई किसी भी प्रविष्टि की प्रति निकालने का अधिकार होगा अथवा उक्त रजिस्टर या उसके किसी हिस्से की प्रति उसे उपलब्ध कराई जाएगी।

12. रजिस्टर बंद करना :—बैंक भारत में प्रसारित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा कम से कम सात दिनों की पूर्व-सूचना देते हुए शेयरधारकों का रजिस्टर किसी भी ऐसी अवधि या अवधियों के लिए बंद कर सकता है, जो उसकी राय में आवश्यक हो तथा जो प्रत्येक वर्ष में कुल मिला कर पैंतालीस दिन से अधिक नहीं, किन्तु किसी एक बार में तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

13. शेयर प्रमाण पत्र

(i) प्रत्येक शेयर प्रमाण पत्र पर शेयर प्रमाणपत्र संख्या, एक प्रभेदक संख्या, उन शेयरों की संख्या जिनके संबंध में उन्हें जारी किया जा रहा हो तथा उस शेयर-धारक का नाम जिसे वह जारी किया जा रहा हो, दिए गये होंगे और ये सब मण्डल द्वारा किए गये निर्णय के अनुरूप होंगे ।

(ii) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र मण्डल द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में बैंक की सामान्य मुद्रा (सील) के अधीन जारी किया जाएगा तथा वह दो निदेशकों एवं इस प्रयोजन के लिए मण्डल द्वारा नियुक्त

कुछेक अन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

शर्त यह है कि निदेशकों के हस्ताक्षर किसी ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा मुद्रित, उत्कीर्णित, शिलामुद्रित या मुद्रांकित किए जाएंगे, जिनके लिए मण्डल निदेश दे ।

(iii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्णित, शिलामुद्रित या अन्यथा मुद्रांकित हस्ताक्षर स्वयं हस्ताक्षरी की समुचित लिखावट में किए गये हस्ताक्षर जितने ही वैध होंगे ।

(iv) कोई भी शेयर प्रमाणपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि वह इस प्रकार हस्ताक्षरित न हो, इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाणपत्र इस बात के बावजूद भी वैध और बाध्यकर होंगे कि उनके जारी किए जाने के पूर्व वह व्यक्ति जिसने उन पर हस्ताक्षर किया है, बैंक की ओर से शेयर प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नहीं रह गया है।

(v) यदि इस प्रकार तैयार किए शेयर प्रमाण पत्रों पर उपर्युक्त उप-खंड (ii) में यथा-वर्णित रूप से किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों जिसकी शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के समय फिल-हाल मृत्यु हो गई हो, तो बैंक किसी ऐसे तरीके से जिसे वह सर्वथा उपयुक्त समझे, प्रमाणपत्र पर किए गए ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर को रद्द कर सकता है और उन पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है । इस प्रकार जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्र वैध होंगे ।

14. प्रमाणपत्र जारी किया जाना :

(i) किसी शेयरधारक को शेयर प्रमाणपत्र जारी करते समय मण्डल के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह किसी एक अवसर पर उसके नाम पर पंजीकृत प्रत्येक सौ शेयरों या उनके गुणजों के लिए एक प्रमाणपत्र तथा उससे अधिक संख्या वाले शेयरों किन्तु जो सौ शेयरों से कम हो, के लिए एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करे ।

(ii) यदि पंजीकृत किए जाने वाले शेयरों की संख्या सौ से कम हो तो समस्त शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(iii) कुछेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेयर/किन्हीं शेयरों के संबंध में बैंक एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने हेतु बाध्य नहीं होगा तथा कुछेक संयुक्त धारकों में से किसी एक को एक शेयर प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी ऐसे सभी धारकों को की गई पर्याप्त सुपुर्दगी होगी ।

15. शेयर प्रमाणपत्रों का नवीकरण :

(i) यदि कोई प्रमाणपत्र घिस गया हो या खराब हो गया हो तो मण्डल या उसके द्वारा पदनामित समिति ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे रद्द किए जाने तथा उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र जारी किये जाने का आदेश दे सकता/सकती है।

(ii) यदि किसी प्रमाणपत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने विषयक अभिकथन किया गया हो तो मण्डल या उसके द्वारा पदनामित समिति द्वारा जामिन सहित या उसके बिना ऐसी पहचान किए जाने पर जो मण्डल या समिति उपयुक्त समझे तथा दो समाचारपत्रों में प्रकाशन पर एवं बैंक को उसकी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान किए जाने पर उस प्रमाणपत्र के स्थान पर उसकी अनुलिपि उस व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है जो इस प्रकार खोए हुए या नष्ट हुए प्रमाणपत्रों हेतु पात्र हो ।

16. शेयरों का समेकन एवं उप-विभाजन :

शेयरधारक (कों) द्वारा लिखित आवेदन किए जाने पर मण्डल या उसके द्वारा पदनामित समिति उसे समेकन/उप-विभाजन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्रस्तुत शेयरों को समेकित या उप-विभाजित कर सकता/सकती है तथा बैंक को उसकी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों एवं उक्त मामले के प्रासंगिक खर्चों का भुगतान किए जाने पर उस/उन प्रमाणपत्र/पत्रों के स्थान पर नया/नये प्रमाणपत्र जारी कर सकता/सकती है ।

17. शेयरों का हस्तांतरण :

(i) बैंक के शेयरों का प्रत्येक हस्तांतरण इसके साथ संलग्न फार्म "क" या बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए जाने वाले ऐसे ही अन्य फार्म में हस्तांतरण लिखत के माध्यम से होगा तथा वह हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरिती द्वारा या उनकी ओर से संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के साथ ही विहित रूप से मुद्रांकित दिनांकित एवं निष्पादित किया जाएगा ।

(ii) शेयर प्रमाणपत्र के साथ उक्त हस्तांतरण लिखत बैंक को उसके प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा जब तक शेयर हस्तांतरण रजिस्टर में हस्तांतरिती का नाम दर्ज नहीं कर दिया जाता, तब तक यह माना जाएगा कि हस्तांतरणकर्ता ही ऐसे शेयर का धारक है ।

(iii) बैंक द्वारा हस्तान्तरण को पंजीकृत करने हेतु अनुरोध सहित शेयर प्रमाणपत्र के साथ हस्तान्तरण लिखत की प्राप्ति पर मण्डल या उसके द्वारा पदनामित समिति

शेयर प्रमाणपत्र के साथ उक्त हस्तान्तरण लिखत को, तकनीकी आवश्यकताओं का उनकी परिपूर्णता के अनुरूप अनुपालन किया गया है या नहीं, इस बात के सत्यापन के प्रयोजन से पंजीयक और/अथवा शेयर हस्तान्तरण अभिकर्ताओं को अग्रेषित करेगा/करेगी। पंजीयक और/अथवा शेयर हस्तान्तरण अभिकर्ता शेयर प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, के साथ उक्त हस्तान्तरण लिखत निम्नलिखित शर्त पूरी न होने की स्थिति में हस्तान्तरिती को पुनर्प्रस्तुतीकरण हेतु वापस करेगा :

(क) विहित रूप से मुद्रांकित एवं पंजीकरण हेतु समुचित रूप से निष्पादित हस्तान्तरण लिखत बैंक को प्रस्तुत किए जाएं तथा उनके साथ लिखत जिन प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित हो, वे शेयर तथा ऐसे अन्य साक्ष्य भी लगे हों, जिन्हें इस प्रकार का हस्तान्तरण करने हेतु हस्तान्तरणकर्ता का हक दर्शाने के लिए मण्डल को आवश्यकता हो।

(ख) पंजीयक इस बात से सन्तुष्ट हो कि हस्तांतरिती हस्तान्तरण लिखत में समाविष्ट शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने की अर्हता रखता हो।

(iv) मण्डल या उसके द्वारा पदनामित समिति जब तक कि वह विनियम 19 के अधीन हस्तान्तरण पंजीकृत करने से इन्कार न कर दे, इसमें इसके बाद हस्तान्तरण को पंजीकृत करेगा/करेगी।

18. हस्तान्तरणों को निलम्बित करने का अधिकार :— मण्डल या उसके द्वारा पदनामित समिति उस अवधि में कोई भी हस्तान्तरण पंजीकृत नहीं करेगा/करेगी जिसमें रजिस्टर बन्द रखा गया हो।

19. शेयर हस्तान्तरण के पंजीकरण को अस्वीकृत करने से सम्बन्धित मण्डल के अधिकार :—मण्डल निम्नलिखित में से किसी एक या उससे अधिक आधार पर और किसी अन्य आधार पर नहीं हस्तान्तरिती के नाम पर किसी शेयर को हस्तान्तरित करने से इन्कार कर सकता है :

(क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए या फिर ऐसे हस्तान्तरण के पंजीकरण से सम्बन्धित कानून के अधीन किसी अन्य अपेक्षा के पूरी न होने की स्थिति में शेयरों का हस्तान्तरण।

(ख) मण्डल की राय में शेयरों का हस्तान्तरण बैंक के हितों या लोकहित के प्रतिकूल हो।

(ग) न्यायालय, अधिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा शेयर हस्तान्तरण प्रतिबन्धित हो।

(घ) भारत से बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति या कम्पनी या भारत में अप्रवृत्त किसी कानून के अधीन गठित किसी कम्पनी में या ऐसी कम्पनी की किसी शाखा चाहे तो वह भारत से बाहर की निवासी हो या नहीं, हस्तान्तरण हेतु दी जा रही अनुमति पर उसके फलस्वरूप बैंक के शेयरों को धारित कर सकेगा/सकेगी या प्राप्त कर सकेगा/सकेगी तथा इस प्रकार किया गया कुल निवेश चुकता पूंजी के 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक या केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक होगा।

तथापि, शर्त यह है कि ऊपर उपविनियम (i)(ग) में यथा उल्लिखित अस्वीकृति सम्बन्धी अधिकारों का उपयोग मण्डल द्वारा पदनामित समिति द्वारा इस प्रयोजन हेतु किया जाएगा।

(ii) मण्डल बैंक के शेयरों के हस्तान्तरण लिखत को ऐसे हस्तान्तरण के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए उसके पास जमा किए जाने के उपरान्त अपना इस आशय का अभिमत बनाएगा कि ऐसे पंजीकरण को उपविनियम (i) में उल्लिखित आधारों में से किसी एक आधार पर अस्वीकृत किया जाना आवश्यक है या नहीं—

(क) यदि, उसने इस आशय का अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को इस प्रकार अस्वीकृत किया जाना उचित नहीं है तो वह ऐसे पंजीकरण को प्रभावी बनाएगा; और

(ख) यदि, उसने इस आशय का अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को उपविनियम (i) में वर्णित आधारों में से किसी एक आधार पर अस्वीकृत किया जाना उचित है तो वह हस्तान्तरण फार्म प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर लिखित सूचना द्वारा हस्तान्तरणकर्ता एवं हस्तान्तरिती को सूचित करेगा।

20. मृत्यु, दिवाला आदि की स्थिति में शेयरों का प्रेषण :—(i) किसी शेयर के सम्बन्ध में मृत शेयरधारक के निष्पादकों या प्रशासकों अथवा वसीयत की प्रति सहित या उसके बिना वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासन पत्र के धारक, या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग (X) के अधीन जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या किसी विधिक प्रतिनिधित्व के धारक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में मृत एकल धारक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध हस्तान्तरण लिखत निष्पादित किया गया था, एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बैंक द्वारा ऐसे शेयर पर किसी प्रकार का हक रखने वाला माना जाएगा।

(ii) शेयर के दो या उससे अधिक शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत होने के मामले में उत्तरजीवी या उत्तरजीवीगण तथा अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु हो जाने पर, उसके निष्पादक या प्रशासक या कोई ऐसा व्यक्ति जो वसीयत पत्र या वसीयत लगे हुए या उसके बिना प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या उक्त शेयर से जुड़े ऐसे उत्तरजीवी के हितों के सम्बन्ध में किसी अन्य विधिक प्रतिनिधित्व का धारक हो या ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में उक्त व्यक्ति द्वारा एवं ऐसे अन्तिम उत्तरजीवी द्वारा अन्तिम उत्तरजीवी के जीवनकाल में वैध शेयर हस्तान्तरण लिखत निष्पादित किया गया हो, एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे बैंक द्वारा ऐसे शेयर पर किसी प्रकार का हक रखने वाले के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।

(iii) बैंक ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को तब तक मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जब तक कि उन्होंने सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से वसीयत प्रमाण पत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त न किया हो।

तथापि, शर्त यह है कि यदि मण्डल अपने विवेक के अधीन यह उचित समझे तो उसके लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह क्षतिपूर्ति या अन्यथा ऐसी शर्तों "जिन्हें व उचित समझे" के पूरी किए जाने पर वसीयतपत्र या प्रशासन-पत्र या उत्तराधिकार पत्र या ऐसे ही अन्य विधिक प्रतिनिधित्व के प्रस्तुतीकरण से छूट दे सकता है।

(iv) किसी शेयरधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप शेयर का पात्र होने वाले किसी व्यक्ति या किसी शेयरधारक के दिवालिया, अकिंचन या परिसमाप्त हो जाने के फलस्वरूप शेयर का पात्र होने वाले किसी व्यक्ति को मण्डल द्वारा यथापेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित का अधिकार होगा —

(क) ऐसे शेयर के सम्बन्ध में शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया जाना;

(ख) ऐसे शेयर का इस प्रकार हस्तान्तरण करना जैसे कि वह व्यक्ति कर सकता था जिससे उसने हक प्राप्त किया हो।

21. शेयरधारक का पंजीकरण हेतु पात्र न रह जाना :— चाहे एकल या किसी अन्य अथवा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किसी भी व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी भी शेयर के सम्बन्ध में इस प्रकार पंजीकृत किए जाने के योग्य न रह जाने के तुरन्त बाद इस विषय में निदेशक मण्डल को अपनी अयोग्यता की सूचना दे।

22. शेयरों से सम्बन्धित मांग :—मण्डल समय-समय पर शेयरधारकों से उनके द्वारा धारित शेयरों पर भुगतान के लिए बकाया रहने वाली उन समस्त धनराशियों, जो आवंटन की शर्तों द्वारा नियत अवधियों पर देय नहीं होतीं, के सम्बन्ध में ऐसी मांग करे, जो वह उचित समझे और प्रत्येक शेयरधारक को उससे इस प्रकार की गई प्रत्येक मांग की रकम का भुगतान उक्त व्यक्ति को मण्डल द्वारा नियम समय पर एवं स्थान पर करना होगा। मांग किस्तों में देय हो सकती है।

23. संकल्प की तिथि से मांग :—किसी मांग को उस समय से की गई माना जाएगा जब से ऐसी मांग प्राधिकृत करते हुए मण्डल द्वारा संकल्प पारित किया गया हो तथा उसे रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा ऐसी तिथि या मण्डल के विवेकाधिकार से उसके द्वारा नियत की जाने वाली उत्तरवर्ती तिथि से देय बनाया जाना चाहिए।

24. मांग नोटिस :—प्रत्येक मांग का कम से कम तीस दिन का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें भुगतान के समय का उल्लेख होगा, बशर्ते कि ऐसी मांग के भुगतान के समय के पूर्व मण्डल शेयरधारकों को दिए जाने वाले लिखित नोटिस द्वारा उसे निरस्त न कर दे।

25. मांग राशि के भुगतान का समय बढ़ाना :— मण्डल समय-समय पर और अपने विवेक से शेयरधारक/कों के निवास-स्थान की दूरी अथवा कुछेक अन्य पर्याप्त कारण पर विचार करते हुए सभी शेयरधारकों या उनमें से किसी एक को किसी मांग के भुगतान हेतु नियत समय को बढ़ा सकता है, किन्तु किसी भी शेयरधारक को ऐसे समय बढ़ाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

26. संयुक्त धारकों के दायित्व :—किसी शेयर के संयुक्त धारक संयुक्त रूप से और अलग-अलग उक्त शेयर से सम्बन्धित सभी मांगों का भुगतान करने के लिए जवाबदेह होंगे।

27. मांग के रूप में नियत समय पर या किश्तों द्वारा देय रकम :—यदि किसी शेयर के निर्गम की शर्तों द्वारा या अन्यथा कोई रकम किसी नियत समय पर या नियत समयों पर किश्तों में देय हो तो ऐसी प्रत्येक रकम या किश्त उस रूप में देय होगी जैसे कि वह मण्डल द्वारा विहित रूप से की गई मांग पर हो और जिसके लिए विहित नोटिस दिया गया हो और उक्त मांगों के सम्बन्ध में इसमें समाविष्ट सभी प्रावधान तदनुसार ऐसी रकम या किश्त से सम्बन्धित होंगे।

28. जब मांग या किश्त पर ब्याज देय हो :—यदि किसी मांग या किश्त से सम्बन्धित देय धनराशि का उसके भुगतान के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन तक भुगतान न किया गया हो, तो जिस शेयर के सम्बन्ध में मांग की गई होगी या किश्त देय हुई होगी, उस समय उसके धारक या आवंटिती को ऐसी धनराशि पर उसके भुगतान के लिए नियत दिन से वास्तविक भुगतान के समय तक मण्डल द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाली दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, किन्तु मण्डल अपने विवेक पर ऐसे ब्याज की अदायगी को पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट दे सकता है।

29. शेयरधारक द्वारा मांग धनराशि की गैर-अदायगी :—कोई भी शेयरधारक जब तक स्वयं द्वारा चाहे एकल रूप से या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित प्रत्येक शेयर पर तत्समय बकाया और देय सभी मांग धनराशियों का उन पर लगाये जाने वाले ब्याज एवं खर्च सहित भुगतान नहीं कर चुका होगा, तब तक किसी प्रकार का लाभांश प्राप्त करने या शेयरधारक के किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा ।

30. मांग धनराशि या किश्त की गैर-अदायगी पर नोटिस :—यदि कोई शेयरधारक किसी मांग धनराशि या किश्त या किसी शेयर के सम्बन्ध में चाहे मूलधन या फिर ब्याज के रूप में देय किसी धनराशि का, उसके भुगतान के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन तक पूर्णतः या उसके किसी अंश का भुगतान करने में असफल रहता है तो बैंक तत्पश्चात् उस समय के दौरान जब तक मांग धनराशि या किश्त या उसका कोई भी अंश या अन्य धनराशियां भुगतान हेतु बकाया रहती हैं या उनसे सम्बन्धित किसी निर्णय या डिक्री का पूर्णतः या आंशिक रूप से समाधान नहीं होता, तो किसी भी समय ऐसे शेयरधारक या शेयर के हकदार व्यक्ति (यदि कोई हो) को ऐसा नोटिस भेज सकता है, जिसमें उसने ऐसी मांग धनराशि या किश्त या उनके या अन्य धनराशियों के ऐसे अंश का भुगतान करने के लिए कहा गया हो, जो भुगतान हेतु बकाया हों, इनमें उस समय तक उपचित हो चुके किसी ब्याज तथा ऐसे सभी खर्चों (विधिक या अन्यथा) का भी समावेश होगा, जिनका इस प्रकार की गैर-अदायगी के कारण बैंक द्वारा भुगतान किया गया हो या वहन किया गया हो ।

31. जब्ती का नोटिस :—जब्ती के नोटिस में उस दिन, जो नोटिस की तिथि से चौदह दिन से कम न हो तथा उस या उन स्थान या स्थानों का नामोल्लेख होना चाहिए जिस या जिन पर ऐसी मांग धनराशि या किश्त या ऐसे अंश या अन्य धनराशियों तथा उपर्युक्तानुसार ब्याज एवं खर्चों का भुगतान किया जाना हो । उक्त नोटिस में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि नियत समय के पूर्व या उस समय तक और स्थान पर भुगतान न होने की स्थिति में ऐसे शेयर जिनके सम्बन्ध में मांग की गई थी या किश्त देय है, जब्त कर लिए जाने के पात्र होंगे ।

32. चूक पर जब्त किए जाने वाले शेयर :—यदि पूर्वोक्तानुसार दिए गए नोटिस की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो जिन शेयरों के सम्बन्ध में ऐसा नोटिस दिया गया है उनमें से कोई भी शेयर उसके पश्चात् किसी भी समय मांग धनराशि या किश्तें, ब्याज और खर्चे या उनसे सम्बन्धित देय धनराशियां उक्त आशय के मण्डल के संकल्प द्वारा जब्त किए जा सकेंगे । ऐसी जब्ती में जब्त किए गए शेयरों के सम्बन्ध में घोषित और जब्ती के पूर्व वास्तविक रूप से भुगतान न किए गए सभी लाभांशों का समावेश होगा ।

33. रजिस्टर में जब्ती की प्रविष्टि :—विनियम 32 के अधीन कोई शेयर जब्त कर लिए जाने पर उक्त जब्ती की रजिस्टर में उसकी तिथि सहित प्रविष्टि की जानी होगी ।

34. जब्त शेयर बैंक की सम्पत्ति होंगे और बेचे जा सकेंगे :—इस प्रकार जब्त किया गया कोई भी शेयर बैंक की सम्पत्ति माना जाएगा और उसे ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी विधि से, जो मण्डल निर्धारित करे, किसी भी व्यक्ति को बेचा जा सकता है, पुनः आबंटित किया जा सकता है या अन्यथा निबटाया जा सकता है ।

35. जब्ती को निष्प्रभावी बनाने का अधिकार :—विनियम 32 के अधीन इस प्रकार जब्त किए गए किसी शेयर के बेच दिए जाने, पुनः आबंटित किए जाने या अन्यथा निबटा दिए जाने के पूर्व मण्डल किसी भी समय ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे उनकी जब्ती को निष्प्रभावी बना सकता है ।

36. जब्ती के समय बकाया धनराशि और ब्याज के भुगतान के लिए शेयरधारक जिम्मेवार है :—कोई भी ऐसा शेयरधारक जिसके शेयर जब्त किए गए हों, जब्ती के बावजूद भुगतान के लिए जिम्मेवार होगा तथा वह बैंक को सभी मांग धनराशियों, किश्तों, ब्याज, खर्चों तथा जब्ती के समय उन पर या ऐसे शेयरों के सम्बन्ध में देय अन्य धनराशियों का जब्ती के समय से भुगतान की तिथि तक मण्डल द्वारा यथानिर्धारित दर के अनुसार, उन पर उपचित ब्याज सहित, तत्काल भुगतान करेगा तथा मण्डल उनके पूर्णतः या किसी हिस्से के भुगतान को प्रवृत्त करेगा ।

37. आंशिक भुगतान से जब्ती प्रतिबाधित नहीं होगी :—मांग धनराशियों या किसी शेयर के सम्बन्ध में बकाया अन्य धनराशियों के लिए बैंक के पक्ष में हुआ न तो कोई निर्णय या न कोई डिक्री, न ही उसके अधीन किया गया कोई भुगतान या समाधान, न ही बैंक द्वारा किसी धनराशि के ऐसे हिस्से की प्राप्ति, जो किसी शेयरधारक से समय-समय पर किसी शेयर के सम्बन्ध में चाहे मूलधन के रूप में या ब्याज के रूप में बकाया हो, न ही किसी धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में बैंक द्वारा मंजूर किया गया कोई अनुग्रह इन विनियमों के अधीन ऐसे शेयरों की जब्ती को प्रतिबाधित करेगा ।

38. शेयर की जब्ती बैंक के विरुद्ध सभी दावों को समाप्त कर देती है :—किसी शेयर की जब्ती में जब्ती के समय उससे जुड़े सभी हितों और उक्त शेयर के सम्बन्ध में बैंक के विरुद्ध किए जाने वाले सभी दावों एवं की जाने वाली मांगों तथा केवल उन अधिकारों को छोड़कर जो इन प्रसंविदाओं द्वारा स्पष्ट रूप से अधिव्यक्त कर दिए गए हैं, उक्त शेयर से प्रासंगिक अन्य सभी अधिकारों की समाप्ति शामिल होती है ।

39. जब्त कर लिए जाने के फलस्वरूप बिक्री, पुनर्निर्गम, पुनराबंटन या निपटान पर मूल शेयरों का अकृत और शून्य हो जाना :—पूर्वगामी विनियम के प्रावधानों के अधीन किसी बिक्री, पुनर्निर्गम, पुनराबंटन या अन्य निपटान पर सम्बन्धित शेयरों के सम्बन्ध में मूल रूप से जारी प्रमाणपत्र (जब तक कि वे बैंक द्वारा की गई मांग पर चूककर्ता सदस्य द्वारा उसे न सौंप दिए गये हों) निरस्त हो जाएंगे तथा अकृत और शून्य हो जाएंगे एवं निष्प्रभावी हो जाएंगे, मण्डल उन व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उनके पात्र हों, उक्त शेयरों के सम्बन्ध में नया या नये प्रमाणपत्र जारी करने का हकदार होगा ।

40 जब्ती प्रावधानों का लागू होना : इन विनियमों के जब्ती से संबंधित प्रावधान किसी धनराशि के भुगतान न होने की स्थिति में लागू होंगे, जो किसी शेयर के निर्गम की शर्त द्वारा किसी नियत समय पर चाहे शेयरों के नाममात्र मूल्य के रूप में या फिर प्रीमियम के रूप में इस प्रकार देय होते हैं जैसे कि वे विहित रूप से की गयी मांग के फलस्वरूप देय बनाए गये हों ।

41. शेयरों पर धारणाधिकार : (i) बैंक का निम्नलिखित पर प्रथम एवं सर्वोच्च धारणाधिकार होगा

(क) प्रत्येक शेयर (जो पूर्णतः चुकता शेयर न हो) पर, उस शेयर से संबंधित मांग या नियत समय पर देय सभी प्रकार की धनराशियों (चाहे वे वर्तमान में देय हों या नहीं) के लिए ,

(ख) किसी एकल व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत किए हुए सभी शेयरों (जो पूर्णतः चुकता शेयर न हों) पर बैंक को उनके या उनकी संपदा द्वारा वर्तमान में देय सभी प्रकार की धनराशियों के लिए ।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर (चाहे एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से) पंजीकृत सभी शेयरों पर तथा बैंक के प्रति या उसके साथ एकल रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उसकी/उनकी देनदारियों, देयताओं और प्रतिबद्धताओं के लिए उनके बिक्री आगमों पर, चाहे उनके भुगतान, पूर्णता या उन्मोचन की अवधि वास्तविक रूप से पूरी हो गयी हो या नहीं, तथा बैंक द्वारा उसके धारणाधिकार पर किसी शेयर पर किसी प्रकार की साम्यिक हितबद्धता को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी ।

शर्त यह है कि निदेशक मण्डल किसी भी समय किसी भी शेयर के लिए इस खण्ड के प्रावधानों से पूर्णतः या आंशिक छूट की घोषणा कर सकता है ।

(ii) किसी शेयर पर बैंक का धारणाधिकार, यदि कोई हो, तो उस पर देय सभी लाभांशों तक विस्तारित होगा ।

42. शेयरों की बिक्री द्वारा धारणाधिकार लागू करना : (i) बैंक किसी भी ऐसे शेयर को, जिस पर कंपनी का धारणाधिकार हो, उस विधि से बेच सकता है, जो मण्डल उचित समझे :

(क) यदि जिस धनराशि के संबंध में धारणाधिकार अस्तित्व में है, वह वर्तमान में देय हो, और

(ख) शेयर के तत्समय पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु अथवा दिवालिया हो जाने के कारण उसके हकदार व्यक्ति को इस आशय का उल्लेख करते हुए तथा जो रकम वर्तमान में देय हो उसके जिस हिस्से के संबंध में धारणाधिकार अस्तित्व में हो, उसके भुगतान की मांग करते हुए लिखित रूप में नोटिस दिए जाने के चौदह दिनों की समाप्ति पर ।

(ii) किसी भी ऐसी बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए मण्डल उन शेयरों के खरीदार को बेचे गये शेयर हस्तांतरित करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है ।

43. शेयरों के बिक्री आगमों का उपयोग : विनियम 42 के अधीन शेयरों के किसी बिक्री के निवल आगमों का ऐसी बिक्री लागत घटाने के उपरांत उपयोग ऐसे कर्ज या देयता के समाधान में किया जाएगा जिसके संबंध में फिलहाल धारणाधिकार अस्तित्व में हो, क्योंकि वह वर्तमान में देय है तथा शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान शेयरधारकों अथवा उस व्यक्ति, यदि कोई हो, को किया जाएगा, जो इस प्रकार बेचे गए शेयरों के प्रेषण द्वारा हकदार हो ।

44. जब्ती प्रमाणपत्र : किसी निदेशक अथवा इस प्रयोजन के लिए विहित रूप से प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य अधिकारी की लिखावट में इस आशय का प्रमाणपत्र कि शेयर के संबंध में मांग की गई थी और कि उक्त शेयर की जब्ती मण्डल के उक्त आशय के संकल्प द्वारा की गई थी, ऐसे शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उसमें वर्णित तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा ।

45. जब्त शेयर के खरीदार एवं आबंटिती का हक : बैंक किसी शेयर की किसी बिक्री, पुनराबंटन या उसके किसी अन्य निपटान पर दिए जाने वाले प्रतिफल को प्राप्त कर सकता है तथा जिस व्यक्ति को ऐसा शेयर बेचा, पुनराबंटित या निपटाया गया है, उसे उक्त शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और वह प्रतिफल, यदि कोई हो, के उपयोग का ध्यान रखने के लिए बाध्य नहीं होगा, न ही शेयर की जब्ती, बिक्री, पुनराबंटन या अन्य निपटान के संदर्भ में होने वाली कार्यवाहियों में बरती गई किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधता द्वारा शेयर से संबंधित उसका हक प्रभावित होगा तथा बिक्री द्वारा असंतुष्ट किसी व्यक्ति का उपचार केवल क्षतिपूर्ति से और वह भी पूर्णतः बैंक के विरुद्ध होगा ।

46. शेयरधारकों को नोटिस या प्रलेख तामील करना : (i) बैंक किसी शेयरधारक को नोटिस या प्रलेख या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके आवासीय पते पर सामान्य डाक द्वारा या फिर यदि भारत में उसका कोई आवासीय पता न हो तो उसे नोटिस देने के लिए उसके द्वारा बैंक को दिए गये भारत के भीतर के पते, यदि हो, पर तामील कर सकता है ।

(ii) जहां कोई प्रलेख या नोटिस डाक द्वारा भेजा गया हो, ऐसे प्रलेख या नोटिस के तामील किए जाने को उक्त प्रलेख या नोटिस वाले पत्र के समुचित रूप से संबोधन, पूर्व-भुगतान या प्रेषण द्वारा प्रभावित किया गया माना जाएगा ।

शर्त यह है कि जहां किसी शेयरधारक ने बैंक को अग्रिम रूप से इस आशय की सूचना दी हो कि उसे प्रलेख डाक प्रमाणपत्र के अंतर्गत या रसीदी अथवा गैर-रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए तथा ऐसा करने में होने वाले खर्च का हिसाब चुकाने की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि बैंक में जमा कर दी हो, तो जब तक कि उक्त प्रलेख या नोटिस शेयरधारक द्वारा सूचित विधि से न भेजे गए हों, उन्हें तामील किया हुआ नहीं माना जाएगा और किसी बैठक से संबंधित नोटिस के मामले में ऐसे तामील को उक्त नोटिस वाले पत्र के प्रेषित किए जाने के उपरांत अड़तालीस घण्टों की समाप्ति पर तथा किसी अन्य मामले में उस समय तामील किया हुआ माना जाएगा जब कि डाक प्रेषण की सामान्य प्रक्रिया में उक्त पत्र की सुपुर्दगी की जा सकती थी ।

(iii) भारत में व्यापक तौर पर प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में विज्ञापित किसी नोटिस या प्रलेख को जिस दिन उक्त विज्ञापन प्रकाशित हो, उस दिन बैंक के ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को तामील किया हुआ माना जाएगा, जिसका भारत में कोई भी पंजीकृत पता न हो और जिसने उसे नोटिस देने के लिए बैंक को भारत के भीतर का कोई पता न दिया हो ।

(iv) बैंक द्वारा किसी शेयर के संयुक्त धारक को कोई नोटिस या प्रलेख उक्त शेयर से संबंधित रजिस्टर में पहले नामोल्लेख वाले संयुक्त धारक को तामील करते हुए तामील किया जा सकता है और इस प्रकार दिया गया नोटिस उक्त शेयरों के सभी धारकों को पर्याप्त नोटिस होगा ।

(v) बैंक द्वारा किसी शेयरधारक की मृत्यु पर या दिवालियेपन के फलस्वरूप किसी शेयर के हकदार व्यक्तियों को उनके नाम द्वारा या मृत के प्रतिनिधियों की उपाधि द्वारा या दिवालिये के समनुदेशितियों या ऐसे ही किसी अन्य विवरण द्वारा संबोधित करते हुए, इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु दिए गए पते, यदि कोई हो, पर अथवा जब तक कोई ऐसा पता न दे दिया जाए, तब तक मृत्यु या दिवाला न होने की स्थिति में जिस विधि से तामील किया गया होता, वैसी ही किसी भी विधि से तामील करते हुए कोई नोटिस या प्रलेख दिया जा सकता है ।

(vi) बैंक द्वारा दिए जाने वाले किसी भी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित होना चाहिए ।

## अध्याय—III

### डिपोजिटरी में धारित बैंक की प्रतिभूतियां

47. डिपोजिटरी और बैंक के बीच करार :—बैंक स्वयं द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संबंध में उसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी एक या अधिक डिपोजिटरी के साथ करार सम्पन्न कर सकता है।

48. सहभागी और डिपोजिटरी के बीच करार :—(i) कोई भी सहभागी डिपोजिटरी के साथ उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु करार संपन्न कर सकता है । वह डिपोजिटरी जिसके साथ करार संपन्न किया जाएगा ऐसा होगा, जिसकी सेवाएं प्राप्त करने पर बैंक विनियम 47 के अधीन सहमत हुआ है।

(ii) बैंक का कोई भी शेयरधारक सहभागी के माध्यम से बैंक द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में उसकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऐसे डिपोजिटरी द्वारा निर्धारित फार्म में उक्त डिपोजिटरी के साथ करार संपन्न कर सकता है।

49. प्रतिभूति प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण :—(i) बैंक का कोई भी ऐसा शेयरधारक या किसी भी प्रतिभूति का धारक, जिसने उपर्युक्त विनियम 48 के अधीन कोई करार किया हो, उस प्रतिभूति प्रमाणपत्र को बैंक को अभ्यर्पित कर देगा, जिसके संबंध में वह डिपोजिटरी की सेवाएं प्राप्त करना चाहता है।

(ii) बैंक उपर्युक्त उप-विनियम (i) के अधीन प्रतिभूति प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर उक्त प्रतिभूति प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा तथा अपने अभिलेख में उस प्रतिभूति के संबंध में डिपोजिटरी का नाम उसके पंजीकृत स्वामी के रूप में दर्ज कर लेगा एवं डिपोजिटरी को तदनुसार सूचित करेगा।

(iii) डिपोजिटरी उपर्युक्त उप-विनियम (ii) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर उपर्युक्त उप-विनियम (i) में उल्लिखित व्यक्ति का नाम अपने अभिलेख में उसके हितकारी स्वामी के रूप में दर्ज करेगा।

50. प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण का डिपोजिटरी के पास पंजीकरण :—प्रत्येक डिपोजिटरी बैंक से हस्तांतरित किए जाने की सूचना की प्राप्ति पर प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को हस्तांतरिती के नाम पर पंजीकृत करेगा।

51. प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा किसी डिपोजिटरी के पास रखी प्रतिभूति के धारण का विकल्प :—

(i) बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में अभिदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या तो प्रतिभूति प्रमाणपत्र

पाने या फिर डिपोजिटरी के पास रखी प्रतिभूति को धारण करने का विकल्प प्राप्त होगा।

(ii) जब कोई व्यक्ति डिपोजिटरी के पास रखी प्रतिभूति को धारण करने का विकल्प चुनता है, तो बैंक को ऐसे डिपोजिटरी को ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन से संबंधित विवरण देना होगा तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, डिपोजिटरी अपने रजिस्टर में उक्त आबंटिती का नाम उस प्रतिभूति के हितकारी स्वामी के रूप में दर्ज करेगा।

52. डिपोजिटरी के अधीन प्रतिभूतियां समरूप आरूप में होंगी :—डिपोजिटरी द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियां बेकागजीकृत होंगी तथा ये समरूप आरूप में होंगी।

53. हितकारी स्वामी के अधिकार :—हितकारी स्वामी सभी अधिकारों एवं लाभों का पात्र होगा तथा उसे डिपोजिटरी द्वारा धारित अपनी प्रतिभूतियों के संबंध में समस्त देयताओं के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

54. हितकारी स्वामी का रजिस्टर :—(i) प्रत्येक डिपोजिटरी को हितकारी स्वामियों का एक ऐसा रजिस्टर तथा ऐसी सूची इस रूप में रखनी होगी, जो डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 के अधीन या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा डिपोजिटरी द्वारा धारित बैंक की प्रतिभूतियों के संबंध में निर्धारित विधि के अनुरूप हो।

(ii) डिपोजिटरी बैंक को, ऐसे अन्तरालों पर जो बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएं, अपनी ओर से रखे गये हितकारी स्वामियों के रजिस्टर एवं सूची की एक अद्यतन प्रति प्रस्तुत करेगा।

55. किसी प्रतिभूति के संबंध में अलग होने का विकल्प :

(i) यदि हितकारी स्वामी किसी प्रतिभूति के संबंध में डिपोजिटरी से अलग होने के विकल्प को अपनाना चाहता है, तो उसे डिपोजिटरी को तदनुसार सूचित करना होगा।

(ii) डिपोजिटरी उपर्युक्त उप-विनियम (i) के अधीन ऐसी सूचना की प्राप्ति पर अपने अभिलेखों में उपयुक्त प्रविष्टि करेगा तथा बैंक को सूचित करेगा।

(iii) बैंक डिपोजिटरी से सूचना की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड डिपोजिटरीज एवं सहभागी विनियम 1996 और/अथवा डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996 में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरी होने और शुल्कों के भुगतान पर हितकारी स्वामी या हस्तांतरिती जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करेगा।

## अध्याय—IV

### शेयरधारकों की बैठकें

56. वार्षिक सामान्य सभा बुलाने की सूचना :

(i) बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य सभा बुलाने विषयक नोटिस भारत में व्यापक तौर पर प्रसारित होने वाले कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में उक्त सभा के कम से कम पूरे इक्कीस दिन पहले प्रकाशित कराया जायेगा।

(ii) प्रत्येक ऐसे नोटिस में इस प्रकार की सभा के समय, तिथि एवं स्थान और उस सभा में संपन्न किये जाने वाले कार्य का भी उल्लेख होगा।

(iii) ऐसी सभा का समय और तिथि मण्डल द्वारा यथा-निर्धारित रूप में होंगे। सभा बैंक के प्रधान कार्यालय वाले स्थान पर आयोजित होगी।

57. असाधारण सामान्य सभा :

(i) बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक के निदेशकों में से कोई भी एक निदेशक शेयरधारकों की असाधारण सामान्य सभा बुला सकते हैं, बशर्ते मण्डल द्वारा उन्हें इस प्रकार के निदेश दिये गये हों या ऐसी सभा के लिये या तो केन्द्रीय सरकार से या शेयर रखने वाले ऐसे अन्य शेयरधारकों से इस प्रकार की सभा बुलाये जाने का ऐसा अधियाचन प्राप्त हुआ हो जिस पर कुल मिला कर समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के कम से कम दस प्रतिशत के हस्ताक्षर हों।

(ii) उप-विनियम (i) में उल्लिखित उक्त अधियाचन में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिये असाधारण सामान्य सभा बुलाई जानी आवश्यक है, किन्तु उसमें एक ही तरह के ऐसे कतिपय प्रलेख लगाये जा सकेंगे जिनमें से प्रत्येक किसी एक या उससे अधिक अधियाचनकर्ताओं के द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(iii) जहां दो या उससे अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी शेयर का धारण करते हों, वहां किसी एक या उनमें से कुछेक द्वारा हस्ताक्षरित सभा बुलाने के अधियाचन या नोटिस का इस विनियम के प्रयोजन से वही असर एवं प्रभाव होगा जैसे कि वह उन सब के द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(iv) उक्त असाधारण सामान्य सभा के समय, तिथि एवं स्थान का निर्धारण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार या अन्य शेयरधारकों द्वारा अधियाचन पर बुलाई गई असाधारण सामान्य सभा अधियाचन की प्राप्ति के अधिक से अधिक 45 दिनों के भीतर बुलाई जाये।

(v) यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, उप-विनियम (i) द्वारा यथापेक्षित सभा उप-विनियम (iv) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं बुलाते, तो अधियाचकों द्वारा स्वयं ही अधियाचन की तिथि से तीन माह के भीतर सभा बुलाई जा सकेगी :

बशर्ते कि इस उप-विनियम की कोई भी बात उपर्युक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व विहित रूप से बुलाई गई सभा को उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् वाले किसी दिन के लिये स्थगित किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

(vi) अधियाचकों द्वारा उप-विनियम (v) के तहत बुलाई गई सभा जहां तक संभव हो सके उस सीमा तक उसी विधि से बुलाई जायेगी, जिस विधि से मण्डल द्वारा अन्य सामान्य सभाएं आयोजित की जाती हैं।

58. सामान्य सभा की गणपूर्ति :

(i) शेयरधारकों की किसी सभा में तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी कार्यवाही आरंभ किये जाने के समय इस प्रकार की सभा में मतदान करने के पात्र कम से कम पांच शेयरधारक गणपूर्ति के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हों।

(ii) यदि किसी सभा के आयोजन के लिये नियत समय के उपरान्त आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति के लिये आवश्यक शेयरधारक उपस्थित न हों, तो केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों के अधियाचन द्वारा बुलाई गई सभा के मामले में उक्त सभा बर्खास्त मानी जायेगी ।

(ii) किसी अन्य मामले में, यदि किसी सभा के आयोजन के लिये नियत समय के उपरान्त आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति के लिये आवश्यक शेयरधारक उपस्थित न हों, तो उक्त सभा आगामी सप्ताह के उसी दिन, उसी समय एवं स्थान के लिये अथवा किसी ऐसे अन्य दिन तथा अन्य ऐसे समय एवं स्थान के लिये स्थगित हो जायेगी, जो अध्यक्ष निर्धारित करें । यदि स्थगित सभा में उक्त सभा के लिये नियत समय के आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति के लिये आवश्यक शेयरधारक उपस्थित न हों, तो वे शेयरधारक, जो व्यक्तिगत रूप से या मुख्तार द्वारा या विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त सभा में उपस्थित हों, गणपूरक होंगे तथा वे, जिस कार्यवाही को करने हेतु सभा आयोजित की गई है, उसे सम्पन्न कर सकेंगे :

शर्त यह है कि किसी भी वार्षिक सामान्य सभा का स्थगन उस तिथि के लिये नहीं किया जायेगा जो उक्त तिथि के बाद आती हो जिसके भीतर उक्त अधिनियम की धारा 10-क(1) के अनुसार ऐसी वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन आवश्यक है और उक्त सभा के आगामी सप्ताह के उसी दिन के लिये स्थगित किये जाने के फलस्वरूप ऐसा होने वाला हो, तो वार्षिक सामान्य सभा स्थगित नहीं की जायेगी, किन्तु सभा की कार्यवाही, यदि गणपूर्ति के लिये आवश्यक उपस्थिति रहती है तो सभा के लिये नियत समय से एक घण्टे के भीतर या उस समय से एक घण्टे की तत्काल समाप्ति के पश्चात् आरंभ कर दी जायेगी तथा ऐसे समय पर ऐसे शेयर धारक जो व्यक्तिगत रूप से या मुख्तार द्वारा या विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होंगे, गणपूर्ति करेंगे।

59. सामान्य सभा के सभापति :

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में निदेशकों में से कोई भी एक ऐसा निदेशक जो सामान्यतया या किसी विशिष्ट सभा के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किये गये हों, उक्त सभा के सभापति होंगे और यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत कोई अन्य निदेशक उपस्थित न हों तो उक्त सभा वहां उपस्थित किसी अन्य निदेशक का उक्त बैठक के सभापति के रूप में चुनाव कर सकती है।

(ii) सामान्य सभा के सभापति सामान्य सभा की कार्यविधि को नियंत्रित करेंगे तथा उन्हें विशेष रूप से यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह शेयरधारकों द्वारा सभा को संबोधित किये जाने के क्रम का निर्धारण करें, भाषण के लिये समय-सीमा निर्धारित करें, उनकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त विचार-विनिमय हो जाने के उपरान्त समापन की व्यवस्था दें तथा सभा को स्थगित करें।

60. सामान्य सभा में उपस्थित रहने के पात्र व्यक्ति :

(i) बैंक के समस्त निदेशक एवं सभी शेयरधारक उप-विनियम (ii) के प्रावधानों के अधीन सामान्य सभा में उपस्थित रहने के पात्र होंगे।

(ii) सामान्य सभा में उपस्थित रहने वाले किसी भी शेयरधारक (जो केन्द्रीय सरकार के रूप में न हो) या किसी भी निदेशक के लिये उसकी पहचान तथा उसके मताधिकार पर निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु, यह आवश्यक होगा कि वह सभापति द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले

उस फार्म पर हस्ताक्षर करे तथा उसे बैंक को सौंपे, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित विवरण हों :

(क) उसका पूरा नाम और पंजीकृत पता

(ख) उसके शेयरों की प्रभेदक संख्याएं

(ग) वह मतदान करने का पात्र है या नहीं तथा उन मतों की संख्या जिनका वह व्यक्तिगत रूप से या मुख्तार द्वारा या विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हकदार है।

61. सामान्य सभाओं में मतदान :

(i) किसी भी सामान्य सभा में सभा के मतदान हेतु किसी भी संकल्प पर, जब तक कि मतदान की मांग न की जाए, निर्णय हाथ उठा कर लिया जाएगा।

(ii) उक्त अधिनियम में किए गये प्रावधानों को छोडकर सामान्य सभा में प्रस्तुत प्रत्येक मामले पर मतों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(iii) जब तक कि उप-विनियम (i) के अधीन मतदान की मांग न की जाए सभा के सभापति द्वारा इस आशय का घोषणापत्र कि संकल्प को हाथ उठा कर या तो सर्वसम्मति से या फिर किसी विशिष्ट बहुमत द्वारा पारित किया या नहीं किया गया है तथा कार्यवाही के कार्यवृत वाली बही में उक्त आशय की प्रविष्टि की गई हो, उक्त तथ्य का, ऐसे संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना, निर्णायक साक्ष्य होगा।

(iv) किसी संकल्प पर हाथ उठा कर किए गये मतदान के परिणाम की घोषणा किए जाने के पूर्व या उसके उपरांत सभा के सभापति द्वारा स्वयं अपने प्रस्ताव पर मतदान कराए जाने का आदेश दिया जा सकता है तथा उनके द्वारा मतदान कराए जाने का ऐसा आदेश किसी शेयरधारक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ऐसे शेयरधारकों या मुख्तार द्वारा उक्त प्रयोजन से की जाने वाली मांग पर दिया जाएगा जो बैंक में ऐसे शेयर धारित करते हों, जो संकल्प पर मतदान का ऐसा अधिकार प्रदान करता हो जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान अधिकार के पांचवे हिस्से से कम न हो।

(v) मतदान की मांग किसी भी समय मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकेगी।

(vi) सभा के स्थगन या उसके सभापति के चुनाव के संबंध में मतदान हेतु की गई मांग पर तुरंत विचार किया जाएगा।

(vii) किसी अन्य मुद्दे पर की गई मतदान की मांग पर सभा के सभापति के निदेशानुसार ऐसे समय विचार किया जाएगा जो उस समय से अड़तालीस घण्टों से बाद का न हो, जिस समय उक्त मांग की गई थी।

(viii) किसी व्यक्ति के मतदान करने की योग्यता तथा मतदान की स्थिति में कोई व्यक्ति कितने मत देने में सक्षम है, इस संबंध में सभा के सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

62. सामान्य सभा के कार्यवृत :

(i) (बैंक का नाम) सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत उक्त प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली बही में दर्ज कराएगा।

(ii) जिस सभा में उक्त कार्यवाहियां संपन्न हुई थीं उसके सभापति या आगामी उत्तरवर्ती सभा के सभापति द्वारा हस्ताक्षरित माना गया ऐसा कोई भी कार्यवृत उन कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा।

(iii) जब तक अन्यथा न सिद्ध हो जाए, ऐसी प्रत्येक सामान्य सभा, जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में इस प्रकार कार्यवृत तैयार किए गए हों, को विहित रूप से बुलाई गई और आयोजित सभा माना जाएगा तथा उसमें संपन्न सभी कार्यवाहियों को विहित रुप से संपन्न कार्यवाहियां माना जाएगा।

## अध्याय-V

### निदेशक का चुनाव

63. सामान्य सभा में चुने जाने वाले निदेशक ;

(i) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (1) के अधीन किसी निदेशक का चुनाव केन्द्रीय सरकार को छोड़कर रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा बैंक की सामान्य सभा में अपने बीच के शेयरधारकों में से किया जाएगा।

(ii) जहां किसी निदेशक का चुनाव किसी सामान्य सभा में किया जाना हो तो सभा बुलाए जाने वाले नोटिस में निदेशक के चुनाव से संबंधित नोटिस का भी समावेश किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक नोटिस में इस बात का उल्लेख होगा कि कितने निदेशकों का चुनाव किया जाना है और उन रिक्तियों के विवरण भी दिए जाएंगे जिनके संबंध में चुनाव होना है।

64. शेयरधारकों की सूची :

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अधीन किसी निदेशक के चुनाव के प्रयोजन हेतु रजिस्टर में दर्ज ऐसे शेयरधारकों

की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव होना है।

(ii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और प्रभेदक सख्याओं के साथ जिस तारीख को वे शेयर पंजीकृत किए गये थे वह तिथि, जिस सभा में चुनाव संपन्न होना उसके लिए नियत तिथि को वे जितने मतों के हकदार होंगे उन मतों की संख्या शामिल होगी और उक्त सूची की प्रतियां सभा के लिए नियत तिथि के कम–से–कम तीन सप्ताह पूर्व मण्डल या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर आवेदन किए जाने पर प्रधान कार्यालय में खरीद के लिए उपलब्ध रहेगी।

65. चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन :

(i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी अभ्यर्थी का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि—

(क) वह बैंक में——— शेयर धारण करने वाला शेयर-धारक न हो।

(ख) उक्त अधिनियम के तहत या उक्त योजना के अधीन नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वह निदेशक बनने के लिए अयोग्य न करार दिया गया हो।

(ग) उसने मांग धनराशि के भुगतान के लिए नियत तिथि को या उसके पूर्व अपने द्वारा चाहे एकल या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों से संबंधित समस्त मांग धनराशियों का भुगतान कर दिया है।

(घ) नामांकन लिखित रूप में उक्त अधिनियम के तहत निदेशकों का चुनाव करने के पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विहित रूप से गठित मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित हो, शर्त यह है कि किसी ऐसे शेयरधारक, जो कंपनी हो, द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहां वह इस प्रकार किया गया हो, वहां वह संकल्प जिस सभा में पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित उक्त संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कम्पनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

(ङ) उक्त नामांकन किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट बीमा पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उक्त अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के घोषणापत्र के साथ होगा कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने का इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमों के तहत किसी भी रूप में निदेशक बनने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया गया है।

(ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह सभी सम्बद्ध प्रलेखों के साथ न प्राप्त हो, सभी प्रकार से परिपूर्ण न हो तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले किसी कार्य दिवस को प्राप्त न हो जाए।

66. नामांकनों की जांच :

(i) नामांकनों की, उनके प्राप्त होने के लिए नियत तिथि के बाद वाले पहले कार्य दिवस को जांच की जाएगी तथा किसी नामांकन के वैध न पाए जाने की स्थिति में उसे वैध न पाए जाने के कारणों को रिकार्ड किए जाने के उपरान्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए एक ही वैध नामांकन हो, तो इस प्रकार नामांकित अभ्यर्थी को तुरन्त चुना हुआ मान लिया जाएगा तथा उसका नाम और पता इस प्रकार चुने हुए निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई गई सभा में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि उक्त सभा एकमात्र उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से बुलाई गई थी तो वह रद्द हो जाएगी।

(ii) चुनाव कराए जाने की स्थिति में यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हैं तो सबसे अधिक मत पाने वाले अभ्यर्थी को चुना हुआ माना जाएगा।

(iii) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशक के बारे में यह माना जाएगा कि उसने उस तिथि से पदभार संभाला है जो उस दिन के बाद हो जिस दिन वह चुना गया था उसे चुना हुआ माना गया था।

67. चुनाव विवाद :

(i) चुने हुए माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के सम्बन्ध में या किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संदेह या विवाद उठने की स्थिति में अभ्यर्थी या शेयरधारक के रूप में हितबद्ध कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे चुनाव में मतदान करने का पात्र हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा किए जाने के सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकता है तथा उक्त

सूचना में चुनाव की वैधता के सम्बन्ध में उठने वाले सन्देहों और विवादों के आधारों के सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगा ।

(ii) उप-विनियम (1) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे सन्देह या विवाद को निर्णय हेतु तुरंत उस समिति को भेजेंगे, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों या उनकी अनुपथिति में कार्यपालक निदेशक और उक्त अधिनियम की धारा 9 का उपधारा (3) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित में से किन्हीं दो निदेशकों का समावेश होगा।

(iii) उप-विनियम (ii) में उल्लिखित उक्त समिति ऐसी जांच करेगी जो उसे आवश्यक लगे और यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध चुनाव था तो वह घोषित चुनाव-परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध चुनाव नहीं था, तो वह जांच प्रारम्भ होने के 30 दिनों के भीतर नया चुनाव कराए जाने सहित ऐसे आदेश जारी करेगी और ऐसे निदेश देगी, जो उन परिस्थितियों में समिति को न्यायोचित लगें ।

(iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति द्वारा दिया गया कोई भी आदेश एवं निदेश निर्णायक होगा ।

## अध्याय VI

### शेयरधारकों के मताधिकार

68. मताधिकारों का विनिश्चयन:

(i) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ङ) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को जिसे सामान्य सभा के पूर्व रजिस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी सभा में हाथ उठा कर एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत का अधिकार प्राप्त होगा ।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ङ) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को जो उपर्युक्तानुसार मतदान करने का पात्र है, जो कम्पनी की हैसियत से नहीं व्यक्तिगत रूप से अथवा मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो, अथवा जो कंपनी की हैसियत से विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो, को हाथ उठा कर एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मतदान की स्थिति में इसमें इसके ऊपर उप-विनियम (i) में यथा-वर्णित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के लिए कंपनी से अभिप्राय है कोई भी निगमित निकाय ।

(iii) सामान्य सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयरधारक हो अथवा नहीं ) को अपने मुख्तार के रूप में अपने स्थान पर सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने हेतु नियुक्त करने के हकदार होंगे, किन्तु इस प्रकार नियुक्त मुख्तार को उक्त सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

69. विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी कंपनी के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, कोई शेयरधारक संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की किसी भी सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में जिसे "विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि" कहा गया है) केन्द्रीय सरकार या जिस कम्पनी का वह प्रतिनिधित्व करता है, उस कम्पनी की ओर से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जैसे कि वह बैंक का एकल शेयरधारक हो । इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/कम्पनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

(iii) कोई भी व्यक्ति (बैंक का नाम ) के शेयरधारकों की किसी सभा में किसी कम्पनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित नहीं रहेगा या मतदान नहीं करेगा, जब तक कि उसे विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने विषयक संकल्प की एक ऐसी प्रति जो जिस सभा में वह पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कर दी जाती ।

70. मुख्तार:

(i) कोई भी मुख्तार लिखित तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि किसी एकल शेयरधारक के मामले में वह स्वयं उसके द्वारा या लिखित रूप में विहित ढंग से प्राधिकृत उसके मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में वह रजिस्टर में प्रथम नामोल्लिखित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विहित ढंग से प्राधिकृत उसके मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो या किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या लिखित रूप में विहित ढंग से प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

शर्त यह है कि कोई भी मुख्तार लिखित किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होगा, जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, बशर्ते कि उसका चिन्ह उस पर लगा हो और जो किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा पंजीयक या उप-पंजीयक अथवा अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।

(ii) कोई भी मुख्तार तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विहित रूप से मुद्रांकित न हो तथा उसकी एक प्रति मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत वह हस्ताक्षरित हो या उस मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो सरकारी नोटरी या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, के साथ उक्त सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न की गयी हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।

(iii) कोई भी मुख्तार लिखित तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि वह फार्म "ख" में न हो।

(iv) बैंक के पास जमा कोई भी मुख्तार लिखित अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगा।

(v) दो ग्राहियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप से मंजूर किए गए मुख्तार लिखित के मामले में एक से अधिक फार्म नहीं निष्पादित किए जाएंगे।

(vi) इस विनियम के अधीन मुख्तार लिखित मंजूर करने वाला जिस सभा से इस प्रकार का लिखित संबंधित हो उस सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान का पात्र नहीं होगा।

(vii) ऐसा कोई भी व्यक्ति विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या मुख्तार नहीं नियुक्त किया जाएगा जो बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

देना बैंक

फार्म "क"

शेयर हस्तांतरण फार्म

[विनियम 17 का उप-विनियम (i) देखें]

अधोलिखित प्रतिफल के अधीन "हस्तांतरणकर्ता (गण)" एतद्द्वारा नीचे नामोल्लिखित "हस्तांतरिती (हस्तांतरितियों)" को नीचे वर्णित शेयर उन्हीं शर्तों के अधीन हस्तांतरित करता है/करते हैं जिन पर उक्त शेयर इस समय हस्तांतरणकर्ता (ओं) द्वारा धारित हैं और हस्तांतरिती (गण) एतद्द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अधीन उक्त शेयर स्वीकार एवं धारण करने के लिए सहमत है/हैं।

| | |
|---|---|
| कंपनी का पूरा नाम | उस मान्यताप्राप्त शेयर बाजार का नाम जहां इनका संव्यवहार होता है (यदि कोई हो) |

इक्विटी शेयर का विवरण

| संख्या (अंकों में) | संख्या (शब्दों में) | प्रतिफल (अंकों में) | प्रतिफल (शब्दों में) |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| प्रभेदक | से |
| संख्याएं | तक |

यथानुरूपी
प्रमाणपत्र संख्यायें

हस्तांतरणकर्ता (ओं) (विक्रेता (ओं) के विवरण

पूरा/पूरे नाम

| पंजीकृत फोलिओं सं० | हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1. ............ | 1. ............ |
| 2. ............ | 2. ............ |
| 3. ............ | 3. ............ |
| 4. ............ | 4. ............ |

अनुप्रमाणन
मैं एतद्द्वारा इसमें उल्लिखित हस्तांतरणकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर (रों) को अनुप्रमाणित करता/करती हूं ।

हस्ता

नाम

पता/मुहर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी का नाम एवं पता

............

............

............ पिन ............

हस्तांतरिती/(हस्तांतरितियों) का/के पूरा/पूरे नाम

| खरीदार (रों) के विवरण | हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1. ............ | 1. ............ |
| 2. ............ | 2. ............ |
| 3. ............ | 3. ............ |

| व्यवसाय | पता | पिता/पति का नाम |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

हस्तांतरिती (हस्तांतरितियों) का/के विद्यमान फोलिओं, यदि कोई हो, नामों के उसी क्रम में ............

लगाए गए टिकट का मूल्य रु० ............

आज दिनांक ............ एक हजार नौ सौ ............
............ स्थान ............

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

फोलिओ | कम्पनी मुहर

जांचकर्ता ..............

हस्ताक्षर सिलानकर्ता ..........

हस्तांतरिती (हस्तांतरितियों) के नमूना हस्ताक्षर
1. ...............
2. ...............
3. ...............

हस्तांतरण रजिस्टर सं०

........... में दर्ज

अनुमोदन की तिथि

अनुप्रमाणन हेतु अनुदेश

जहां आवश्यक हो (अंगूठे के निशान, चिन्ह, हस्ताक्षर में भिन्नता आदि) का अनुप्रमाणन किसी मजिस्ट्रेट, सरकारी नोटरी या विशेष कार्यकारी दण्डाधिकारी या सरकारी पद पर कार्यरत इसी प्रकार के ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो अपने पद की मुहर का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो अथवा किसी ऐसे मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के सदस्य, जिसके माध्यम से शेयर प्रारंभ किए गये हों या हस्तांतरकर्ता के बैंक के प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी :

नामों की रबड़ मुहर वरेण्य रूप में एक सीधी रेखा में लगाई जानी आवश्यक है । इस प्रक्रिया में कालक्रमिक आधार अपनाया जाना चाहिए । जहां सुपुर्दगी किसी समाशोधन गृह के सदस्य बैंक द्वारा की गई हो, वहां दलाल की निकासी संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

| सुपुर्दगी दलाल या निकासी सदस्य का नाम | दिनांक |
|---|---|
| मुख्तारनामा/वसीयत/मृत्यु प्रमाणपत्र | |
| प्रशासन पत्र | |
| कंपनी के पास पंजीकृत<br>सं ............... दिनांक ............... | |
| दलाल, बैंक, कंपनी या शेयर बाजार के समाशोधन गृह के हस्ताक्षर (आद्यक्षर नहीं) | |
| जमाकर्ता : ...............<br>पूरा पता : ............... | |
| शेयर प्रमाणपत्र निम्नलिखित को वापस किए जाते हैं :<br>(उन नामों और पतों का उल्लेख करें जिन पर प्रमाणपत्र वापस किए जाने अपेक्षित हैं)<br>नाम एवं पता : ............... | |

शेयर हस्तांतरण मुहर

फार्म "ख"

मुख्तारी फार्म

[विनियम 70 का उप-विनियम (iii) देखें]

फोलिओ सं ..........

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

मैं हम ........................ राज्य के .................. जिले में स्थित ................ का/के निवासी देना बैंक का/के शेयरधारक/कों के रूप में एतद्द्वारा .................. राज्य के .................. जिले में स्थित .................. का/के निवासी श्री ...................... को अथवा उनकी अनुपस्थिति में ............ राज्य के .................. जिले में स्थित .................. का/के निवासी श्री .......... को वर्ष के .................. महीने की .................. तिथि को आयोजित होने वाली देना बैंक के शेयरधारकों की सभा में और उसके किसी स्थगन के उपरांत आयोजित होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए मेरे/अपने मुख्तार के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं ।

हस्ताक्षरित आज दिनांक : ..........

नाम : ........................

पता : ........................

| राजस्व टिकट लगाएं |
|---|

........................

........................

[फा. सं. 4/3/95-बी.ओ.आई.]
एस. वी. सत्यमूर्ति, महाप्रबन्धक

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 29th April, 1999

## DENA BANK GENERAL REGULATIONS, 1998

G.S.R 142.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of Dena Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :

## CHAPTER-1
## INTRODUCTORY

1. Short title and commencement—

(i) These regulations may be called Dena Bank, General Regulations, 1998.

(ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof—

(a) "Act" means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Under-

takings) Act, 1970 (5 of 1970);

(b) "Bank" means Dena Bank, constituted under section 3 of the Act;

(c) "Board" means the Board of Directors constituted under section 9 of the Act;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(e) "Committee" means a Committee as constituted by the Board;

(f) "Executive Director" means the wholetime Director, not being the Managing Director;

(g) "General Manager" means General Manager of the Bank;

(h) "Management Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;

(i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank;

(j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer floppies or diskettes under sub-section (2G) of section 3 of the Act;

(k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for—

(i) collecting applications from investors in respect of an issue;

(ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities; and

(iii) assisting the Bank in—

(a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange,

(b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities,

(c) processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and

(iv) such other function as assigned from time to time by the Bank;

(l) "Scheme" means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank;

(n) "Share transfer agent" includes—

(i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders or securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or

(ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (i).

(o) Words and expression used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

(p) Other expressions used and not defined in these regulations but used in the Act or the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme.

## CHAPTER II

## SHARE AND SHARE REGISTER

3. Nature of shares.—The shares of the Dena Bank shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. Kinds of share capital—

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of the Dena Bank which fulfils both the following conditions :

(A) that as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax, and

(B) as respect capital, it carries or will carry, on winding upto repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely :—

(a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (A) upto the date of winding up or repayment of capital, and

(b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be construed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register—

(i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of section 3 of the Act,

(ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register,

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulations (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders,

(iv) Subject to the proviso of sub-section 2(D) of Section 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purpose of the Act and these regulations,

(v) No notice of any trust, express implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. Control over shares and registers.—Subject to the provisions of the Act and these regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of the Bank and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders—

(i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

(ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system, etc. :

(i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section 2(F) of section 3 of the Act, read with those mentioned in regulation 5, shall be maintained under sub-section 2(G) of section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic (optical|magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter referred to as "the designated official").

(ii) Particulars required to be entered in the share register under Section 3(B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

9. Safeguards for protection of computer system :

(i) The access to the system set out in Regulation 8(i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any, and/or the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

(ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

(iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. Atleast one of these copies should be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fire-proof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back-up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

(v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with the due regard to the advancement of technology, and/or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders.—If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards, voting receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of Register.

(i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charge or if he requires a copy of the register or computer prints or of any part thereof the same will be supplied to him on prepayment at the rate of Rs. 5 for every 100 words or fractional part thereof required to be copied.

(iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register.—The Bank may, after giving not less than seven days previous notice by advertisement in atleast two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates.—

(i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(ii) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

(iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificates on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in sub-clause (ii) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates :

(i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the bank shall not be bound to issue more than one

certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renewal of share certificates :

(i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or the Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee thinks fit, and on publication in two newspapers and on payment to the Bank of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares.—On a written application made by the shareholder(s), the Board or the Committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/sub-division as the case may be and issue a new certificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17. Transfer of shares :

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in Form 'A' annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time, and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee alongwith the relative share certificate.

(ii) The instrument of transfer alongwith the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof.

(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer alongwith a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar and/or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar and/or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer alongwith the share certificate if any to the Transferee for resubmission unless :

(a) The instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

(b) The Registrar is satisfied that the transferee is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer.

(c) The Board or the Committee designated by the Board shall unless it declines to register the transfer under Regulation No. 19 hereinafter cause the transfer to be registered.

18. Power to suspend transfers.—The Board or the Committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration of transfer of shares :—

(i) The Board may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other grounds :—

(a) the transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;

(b) the transfer of shares, in the opinion of the Board, is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest;

(c) the transfer of shares, is prohibited by an order of Court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force.

(d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the

aggregate will exceed the percentage being more than 20 per cent (Twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in Official Gazette.

Provided however that the powers of refusal mentioned in sub-regulation (i) (c) above may be exercised by the Committee designated by the Board in this behalf.

(ii) The Board shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i)—

(a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration and;

(b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i), intimate the Transferor and the Transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the Transfer Form.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency etc. :

(i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid, instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by the Bank as having any title to such share.

(ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letters of administration with or without Will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognised by Bank as having any title to such share.

(iii) The Bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of admiinstration or succession certificate, as the case may be, from a court of competent jurisdiction :

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit.

(iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right :—

(a) to be registered as a shareholder in respect of such share.

(b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. Shareholder ceasing to be qualified for registration :—It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

22. Calls on shares.—The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.

23. Calls to date from resolution.—A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24. Notice of call.—A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying

the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25. Extension of time for payment of call.—The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. Liabilities of joint holders.—The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payable at fixed time or by instalments as calls.—If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount of instalments accordingly.

28. When interest on call or instalment payable.—If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.

29. Non-payment of calls by shareholder.—No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or instalment.—If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, the Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Bank by reason of such non-payment.

31. Notice of forfeiture.—The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default.—If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33. Entry of forfeiture in the register.—When any share has been forfeited under regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. Forfeited shares to be property of the Bank and may be sold.—Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Bank and may be sold, reallotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. Power to annual forfeiture.—The Board may, at any time before any share so forfeited under regulation 32 shall have been sold, reallotted or otherwise disposed of, annual the forfeiture upon such condition as it may think fit.

36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest.—Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the Bank all calls, instalments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. Partial payment not to preclude forfeiture.—Neither a judgement nor a decree in favour of the Bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the Bank of a portion of

any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture or such shares under these regulations.

38. Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank.—The forfeiture of a share shall involve extinction at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited.—Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding regulations, the certificate(s), originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null and void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40. Application of forfeiture provisions.—The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. Lien on shares—

(i) The Bank shall have a first and paramount lien —

(a) on every share (not being a fully-paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;

(b) on all shares (not being fully-paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank.

(c) upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts; liabilities and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfilment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

(ii) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

42. Enforcing Lien by Sale of Shares —

(i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the Bank has lien;

(a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and

(b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(ii) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares.—The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture.—A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of the Bank duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchaser and allottee of forfeited share.—The Bank may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, reallotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, reallotted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the

proceedings in reference to the forfeiture, sale, re-allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Bank exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders.—

(i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

(ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice :

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

(iii) A notice or document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

(iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.

(v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.

(vi) The signature to any notice to be given by the Bank may be written or printed.

## CHAPTER-III

## SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank.—The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48. Agreement between a participant and the depository :

(i) Any participant may enter into an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one whose services the Bank has agreed to avail of under Regulation 47.

(ii) Any shareholder of the bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the form specified by such depository for availing its services in respect of securities issued by the Bank.

49. Surrender of certificate of security :

(i) Any shareholder or holder of any security of the Bank who has entered into an agreement under regulation 48 above, shall surrender the certficate of security in respect of which he seeks to avail the service of a depository to the bank.

(ii) The Bank on receipt of the certificate of security under sub-regulation (i) above, shall cancel the certificate of security and substitute in record its name of the depository as a registered owner in respect of that security and inform, the depository accordingly.

(iii) A depository shall, on receipt of information under sub-regulation (ii) above, enter the name of the person referred to in sub-regulation (i) above, in its records as the beneficial owner.

50. Registration of transfer of securities with depository.—Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.

51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository :

(i) Every person subscribing to securities offered by the Bank, shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(ii) When a person opts to hold security with the depository the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register, name of the allottee as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in a fungible form.—All securities held by the depository shall be dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner.—The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of Beneficial Owner :

(i) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act, 1996 or by SEBI in respect of securities of the bank held by the Depository.

(ii) The depository shall furnish to the Bank at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owners maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities :

(i) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(ii) The depository shall on receipt of such intimation under sub-regulation (i) above make appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(iii) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfilment of such conditions and on payment of such fees as may be specified in the SEBI Depositories & Participants Regulations 1996 and|or the Depositories Act, 1996 issue a certificate of security to the beneficial owner or the transferee as the case may be.

## CHAPTER IV

### MEETING OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting.—

(i) A notice convening an Annual General Meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any authorised official of the Bank shall be published at least twenty-one clear days before the meeting in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.

(ii) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting, and also the business that shall be transacted at that meeting.

(iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be held at the place of head office of the Bank.

57. Extraordinary General Meeting.—

(i) The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying in the aggregate, not less than ten per cent of the total voting rights of all the shareholders.

(ii) The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents in like form each signed my one or more of the requisitionists.

(iii) Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting, signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(iv) The time, date and place of the Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board:

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholders shall be convened not later than 45 days of the receipt of the requisition.

(v) If the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (iv), the meeting may be called by the requisitionist themselves within three months from the date of the requisition :

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

(vi) A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting.—

(i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless a quorum of at least five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

(ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

(iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called :

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of section 10A(1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representatives at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting.—

(i) The Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorised by the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the Chairman of the meeting and if the Chairman and Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other director present to be the Chairman of the meeting.

(ii) The chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend general meeting.—

(i) All directors and all shareholders of the Bank shall, subject to the provisions of sub-regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.

(ii) A shareholders (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the Chairman containing particulars relating to—

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive number of his shares;

(c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or a duly authorised representatives.

61. Voting at general meetings.—

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number of proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment of election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of general meeting.—

(i) The Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

(ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the Chairman of the meeting at which the proceedings were held or by the Chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.

(iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings hereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

## CHAPTER V

## ELECTION OF DIRECTOR

63. Directors to be elected at general meeting.—

(i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register; other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank.

(ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholder.—

(i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date

fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election.—

(i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding 100 shares of the Bank;

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme,

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether along or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call.

(d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of Reserve Bank of India or any nationalised bank that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations.—

(i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election disputes.—

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person, deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (1), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

## CHAPTER VI

## VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights.—

(i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representatives, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation—For this Chapter "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative.—

(i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/Company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the

resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the head office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies.—

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing :

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of the Bank.

(ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in form "B".

(iv) An intestrument of proxq deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

## DENA BANK

## FORM A

## SHARE TRANSFER FORM

## [SEE SUB-REGULATION (i) OF REGULATION 17]

The consideration stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesaid.

| Full Name of Bank | Name of the recognised; Stock Exchange, where dealt in, if any |
|---|---|

Description of Equity Shares

| No. in Figures | Number in Words | Consideration (in figures) | Consideration (in words) |
|---|---|---|---|

Distinctive Numbers — From / To

| Corresponding Certificate Nos. Transferor(s) [Seller(s)] Particulars | Regd. Folio No. | Signature(s) |
|---|---|---|
| Name(s) in full | 1. ------ | 1. ------ |
| | 2. ------ | 2. ------ |
| | 3. ------ | 3. ------ |
| | 4. ------ | 4. ------ |

## ATTESTATION

I hereby attests the signature of the Transferor(s) herein mentioned.

Signature of witnesss ____________

Signature

Name

Address/seal ____________

Name & address of witness

____________

____________

____________ Pin ____________

| Transferee(s) | [Buyer(s)] Particulars | Signature(s) |
|---|---|---|
| Name(s) in full | 1. | 1. ____________ |
| | 2. | 2. ____________ |
| | 3. ____________ | 3. ____________ |

| Occupation | Address | Father's/Husband's Name |
|---|---|---|
| 1. ____________ | | |
| 2. ____________ | | |
| 3. ____________ | | |

Transferee(s) existing Folio if any, in same order of Names ____________

Value of Stamps affixed Rs. ____________

Dated this ________ day of ________ One Thousand Nine Hundred ________

________ place ________

For Office use only

Checked by ____________

| Folio | Company Code |
|---|---|
| | |

Signatures tallied by ____________

Specimen signature(s) of Transferee(s)
1. ____________
2. ____________
3. ____________

Entered in Register of ____________

Transfer No. ____________

Approval Date ____________

Instruction for attestation :

Attestation, where required (thumb impressions, marks, signature difference etc.) should be done by Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public Notary and authorised to use the seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a Manager of the Transferor's Bank.

NOTE : Names must be rubber stamped preferably in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

| Name of delivering broker or Clearing member | Date | POWER OF ATTORNEY/PROBATE/DEATH CERTIFICATE |
|---|---|---|
| Clearing | | LETTERS OF ADMINISTRATION<br>Registered with the Company<br>No.———— Date————<br>Signature (not initials) of broker, Bank, Company or Stock Exchange House<br>————<br>LODGED BY:————<br>FULL ADDRESS:————<br>————<br>SHARES CERTIFICATE TO BE RETURNED TO :<br>(Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned)<br>Name & Address : ————<br>Share Transfer Stamps |

DENA BANK

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[SEE SUB-REGULATION (iii) OF REGULATION 70]

FOLIO NO.————

(to be filled in by the shareholder)

I/We, resident of ———————in the district of ————————in the State of ———————— being a shareholder/shareholders of the DENA Bank Mumbai————————— hereby appoint Shri——————————resident of ———————————in the district of ————————in the State of ————————or failing him, Shri———————— resident of ——————————————in the district of ————————————in the State of ————————————as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of the shareholders of the Dena Bank to be held on the ———day of————————— 19 /20 ————and at any adjournment thereof.

Signed this ——————————day of———— 19 /20 ————

Name : ————————————————

Address : ————————————————

————————————————

————————————————

Affix Revenue Stamp

[F. No. 4/3/95-B.O.I]

S. V. SATYAMURTHY, General Manager

( राजस्व विभाग )

नई दिल्ली, 6 मई, 1999

सा. का. नि. 143.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1997, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवर्तन निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती संशोधन नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रवर्तन निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1997 की अनुसूची में :—

(i) स्तंभ 5 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात् :—

"योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता या अचयन पद;

(ii) स्तम्भ 11, में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात् :—

"भर्ती की पद्धति:—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ;

(iii) स्तम्भ 12 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात् :—

"प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ;

(iv) "अपर प्रवर्तन निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के पदों से संबंधित क्रम सं. 2, 3 और 4 के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात् :—

अनुसूची

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. अपर प्रवर्तन निदेशक | 1* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय | 14,300-400-18,300 रु० | योग्यता के आधार पर चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 11 | 12 |
|---|---|
| प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | प्रोन्नति :—12,000—16,500 रु. के वेतनमान में का ऐसा प्रवर्तन उपनिदेशक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।<br>टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, |

| 1 | 12 |
|---|---|
| | प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता-पूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।<br>प्रतिनियुक्ति :—<br>*अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा के ऐसे अधिकारी :—*<br>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii) जिन्होंने 12000—16500 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।<br>(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) |

| 13 | 14 |
|---|---|
| समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)<br>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष<br>2. प्रवर्तन निदेशक —सदस्य<br>3. अपर सचिव (प्रशासन) राजस्व विभाग —सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. उप प्रवर्तन निदेशक | 9* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय | 12,000-375-16,500 रु. | योग्यता के आधार पर चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 11 | 12 |
|---|---|
| 50 प्रतिशत प्रोन्नति<br>50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति | प्रोन्नति :—10,000—15,200 रु. के वेतनमान में का ऐसा सहायक प्रवर्तन निदेशक, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है;<br><br>टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।<br><br>प्रतिनियुक्ति :—<br><br>अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा के ऐसे अधिकारी :—<br><br>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br><br>(ii) जिन्होंने 10,000—15,200 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।<br><br>(ख) जिन्हें राजकोशीय विधियों और विनियमों से संबंधित आसूचना और अन्वेषण कार्य का अनुभव है।<br><br>(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ) |

| 13 | 14 |
|---|---|
| समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए )<br>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष<br>2. प्रवर्तन निदेशक —सदस्य<br>3. अपर सचिव ( प्रशासन ) राजस्व विभाग —सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. सहायक प्रवर्तन निदेशक | 34* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय | 10,000-325-15,200 रु. | चयन-सह-ज्येष्ठता | लागू नहीं होता | लागू नही होता |

| 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

| 11 | 12 |
|---|---|
| 40 प्रतिशत प्रोन्नति<br>60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति | प्रोन्नति :—7500—12000 रु. के वेतनमान में का ऐसा मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।<br>टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।<br>प्रतिनियुक्ति :—अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा के ऐसे अधिकारी :—<br>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii) जिन्होंने 8000—13500 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और |

| 12 |
|---|
| (ख) जिन्हें राजकोषीय विधियों और विनियमों से संबंधित आसूचना और अन्वेषण कार्य का अनुभव है। |
| (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।) |

| 13 | 14 |
|---|---|
| समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति<br>(प्रोन्नति के लिए)<br>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष<br>2. प्रवर्त्तन निदेशक —सदस्य<br>3. अपर सचिव (प्रशासन) राजस्व विभाग —सदस्य | प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[फा. सं. 2/5/98—ए.डी. आई. सा.]

माधो राम, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 8-2-97 में सा.का.नि. सं. 74 तारीख 29 जनवरी, 1977 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th May, 1999

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments in the Directorate of Enforcement (Group A Posts) Recruitment Rules, 1997, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Enforcement (Group A Posts) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Enforcement (Group A Posts) Recruitment Rules, 1997,—

(i) in column 5, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post";

(ii) in column 11, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods";

(iii) in column 12, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made";

(iv) for the entries against serial numbers 2, 3 and 4 relating to the post of Additional Director of Enforcement, Deputy Director and Assistant Director, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Additional Director of Enforcement | 1* (1999) | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial | Rs.14300-400-18300. | Selection by Merit | Not applicable |

*Subject to variation dependent on workload.

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Promotion failing which by deputation |

| 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|
| PROMOTION<br>Deputy Director of Enforcement in the scale of Rs. 12000-16500 with five years' regular service in the grade.<br>NOTE : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.<br>DEPUTATION<br>Officers of All India Service/Central Services:<br>(i) holding analogous posts on regular basis;<br>or<br>(ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 12000-16500 or equivalent.<br>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).<br>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application). | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Promotion)<br>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman<br>2. Director of Enforcement—Member<br>3. Additional Secretary (Administration), Department of Revenue—Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Deputy Director of Enforcement | 9* (1999) | General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial | Rs.12000-375-16500 | Selection by Merit | Not applicable |

*Subject to variation dependent on workload

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 50% Promotion<br>50% Deputation |

| 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|
| PROMOTION<br>Assistant Director of Enforcement in the scale of Rs. 10000—15200 with five years' regular service in the grade.<br><br>NOTE : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.<br><br>DEPUTATION<br>Officers of All India Services/Central Services:<br>(a)(i) holding analogous posts on regular basis;<br>or<br>(ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 10000-15200 or equivalent;<br>and<br>(b) processing experience of intelligence and investigation work relating to fiscal laws and regulations.<br><br>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). | Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Promotion:<br>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman<br>2. Director of Enforcement—Member<br>3. Additional Secretary (Administration), Department of Revenue—Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Assistant Director of Enforcement | 34* (1999) | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial | 10000-325;15200 | Selection-cum-seniority | Not applicable |

*Subject to variation dependent on workload.

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | 2 years for promotees | 40% Promotion<br>60% Deputation |

| 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|
| PROMOTION<br>Chief Enforcement Officer in the scale of Rs. 7500-12000 with six years' regular service<br><br>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.<br><br>DEPUTATION<br><br>Officers of All India Services/Central Services;<br>(a)(i) holding analogous posts on regular basis;<br><br>or<br><br>(ii) with five years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent; and<br><br>(b) possessing experience of intelligence and investigation work relating to fiscal laws and regulations.<br><br>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Promotion)<br>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman<br>2. Director of Emforcement—Member<br>3. Additional Secretary (Administration) Department of Revenue—Member | Consultation with the Union Public Service Commission necessary for promotion. |

| 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|
| in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)<br>Foot note : Principal rules published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section(i) dated 8-2-97 vide GSR 74 dated 29th January, 1997. | | |

[F.No. 2/5/98-Ad.IC]

MADHO RAM Dy. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 144:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विदेश मंत्रालय के कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1973 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किये गये अथवा छोड़े गये कार्यों को छोड़कर राष्ट्रपति विदेश मंत्रालय में कनिष्ठ विश्लेषक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:

1. लघु शीर्षक और शुरूआत :—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1999 कहा जाएगा।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिये अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :—उपर्युक्त पद से संबंधित भर्ती की प्रक्रिया, आयुसीमा, योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले इस अनुसूची के कालम 5 से 14 में दिया गया है।

4. अयोग्यता :—ऐसा कोई व्यक्ति :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या जो करना चाहता हो जिसका/जिसकी पहले से कोई जीवित पत्नी/पति हो।

(ख) जिसने पहले से ही जीवित पत्नी/पति रहते हुए दूसरे से विवाह किया हो या करना चाहता हो;

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति विशेष तथा विवाह के दूसरे पक्ष के व्यक्ति के पर्सनल ला के अन्तर्गत ऐसे विवाह अनुमन्य हो, तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हों, तो केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. छूट देने का अधिकार :—यदि केन्द्र सरकार यह आवश्यक और उचित समझती है तो, वह इसके कारणों का लिखित विवरण देते हुए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके आदेश देकर किसी व्यक्ति के वर्ग या श्रेणी के संबंध में किसी उपबन्ध में छूट दे सकती है।

6. अपवाद :—इन नियमों के समय-समय पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को दिये जाने वाले आरक्षण तथा अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी।

अनुसूची

विदेश मंत्रालय में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या पद पर चयन योग्यता अथवा चयन एवं वरिष्ठता के द्वारा होगा अथवा चयनेत्तर पद है | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | क्या सेवा के वर्षों का लाभ दिया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) | 02*<br>*(1999) कार्य के दबाव को देखते हुए परिवर्तन के अध्यधीन | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' राजपत्रित अलिपिकीय वर्गीय | 6500-200-10500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति मामले में भी लागू है | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| भर्ती की प्रक्रिया क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति आमेलन और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | अगर भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जानी है तो किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रतिनियुक्ति में अल्पावधि संविदा शामिल है। | प्रतिनियुक्ति ( अल्पावधिक संविदा सहित )<br>केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनके न मिलने पर राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/स्वायत्त शासी/अर्ध सरकारी/सांविधिक संगठनों के अधिकारी<br>(i) (1) नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे, अथवा<br>(ii) 5500-9000 रुपये के वेतन-मान के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष, अथवा<br>(iii) 5000-8000 रुपये के वेतनमान के पदों पर 6 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष, अथवा<br>(iv) 4500-7000 रुपये के वेतनमान के पदों पर [illegible] वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष, और<br>निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों .<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष;<br>(ii) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान अथवा स्टाफ कार्य अध्ययन संस्थान से सफलतापूर्वक उच्च प्रबन्ध सेवा पाठ्य-क्रम अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समकक्ष प्रशिक्षण, अथवा<br>कार्य अध्ययन संगठन और पद्धति/विश्लेषणात्मक/सांख्यिकीय/प्रचालन अनुसंधान और अन्य प्रबन्ध अनुसंधान तकनीकियों को लागू करने में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।<br>सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान से सफलतापूर्वक मौलिक-प्रबन्ध सेवा पाठ्यक्रम किया हो अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष प्रशिक्षण लिया हो और कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति विश्लेषणात्मक सांख्यिकीय/प्रचालन अनुसंधान और अन्य प्रबन्धन अनुसंधान तकनीकियों को लागू करने में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।<br>केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि/प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित संविदा/इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयु की अधिकतम सीमा ( अल्पावधिक संविदा सहित ) आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अनधिक होगी : |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है | वह परिस्थितियां जब भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए |
|---|---|
| 13 | 14 |
| लागू नहीं | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है यदि क्षेत्र केन्द्रीय सरकार से इतर अधिकारियों से सम्बद्ध हों। |

[सं. 1/कार्मिक/99/से.क्यू./सी ए बी/ 798/5/98]
डा. ए. वी. एस. रमेश चन्द्र, उप सचिव

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 5th April, 1999

G.S.R. 144.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1974 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst in the Ministry of External Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of post, classification thereof and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifictaions, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Castes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Junior Analyst (Work Study) in the Ministry of External Affairs

| Name of Post | No. of Post(s) | Classification | Scale of Pay | Whether Selection by merit or selection-cum seniority or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Junior Analyst (Work Study) | 2* (1999) | GCS Group 'B' Gazetted Non-Ministerial | 6500-200-10500 | N.A. |

*Subject to variation depending on workload.

| Age limit for Direct Recruits | Whether Benefit of added years of Service admissible | Education & Other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| N.A | N.A. | N.A. |

| Whether age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any | Method of Rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ absorption & % of the posts to be filled by various methods. |
|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 |
| N.A | N.A. | Deputation including short term contract |

| In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| Deputation (including short term contract): Officers under the Central Govt. failing which officers of the State Govts./UTs/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Autonomous/Semi-Govt./Statutory Organisations:<br>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or<br>(ii) With three years' regular service in posts in the the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; or<br>(iii) With six years' regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; or<br>(iv) With eight years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500-7000 or equivalent; and<br>(b) Possessing the following educational qualifications and experience:<br>(i) Degree from a recognised university or equivalent.<br>(ii) Have successfully completed the Advanced Management Service Course of the ISTM or Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other recognised institution; or<br>Have atleast two years' experience in the application of work study/organisation & methods/ analytical/statistical/operating research and other management research techniques.<br>Have successfully completed the Basic Management Service Course of the ISTM or equivalent training in any other recognised institution and have three years' experience in the application of work study/organisation and methods/analytical/statistical/operating research and other management research techniques.<br>(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Deptt. of Central Govt. shall ordinarly not | N.A. | Consultation with UPSC necessary when the field consists of officers other than Central Govt. also. |

| 12 |
|---|
| exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application) |

[No. 1/Cad/99/Q/CAD/798/5/98]

DR. A.V.S. RAMESH CHANDRA Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 145—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम 1973 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किये गये अथवा छोड़े गये कार्यों को छोड़कर राष्ट्रपति विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ विश्लेषक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. लघु शीर्षक और शुरुआत :—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1999 कहा जाएगा।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिये अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :—उपर्युक्त पद से संबंधित भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले इस अनुसूची के कालम 5 से 14 में दिया गया है।

4. अयोग्यता :—ऐसा कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या जो करना चाहता हो जिसका/जिसकी पहले से कोई जीवित पति/पत्नी हो।

(ख) जिसने पहले से ही जीवित पत्नी/पति रहते हुए दूसरे से विवाह किया हो या करना चाहता हो,

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति विशेष तथा विवाह के दूसरे पक्ष के व्यक्ति के पर्सनल ला के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुमत्य हो, तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हों, तो केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. छूट देने का अधिकार :—यदि केन्द्र सरकार यह आवश्यक और उचित समझती है तो, वह इसके कारणों का लिखित विवरण देते हुए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके आदेश देकर किसी व्यक्ति के वर्ग या श्रेणी के संबंध में किसी उपबन्ध में छूट दे सकती है।

6. अपवाद :—इन नियमों से समय-समय पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियां को दिये जाने वाले आरक्षण तथा अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी।

अनुसूची

विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या पद पर चयन योग्यता अथवा चयन एवं वरिष्ठता के द्वारा होगा अथवा चयनेत्तर पद है | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | क्या सेवा के वर्षों का लाभ दिया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) | 01* (1999) *कार्य के दवाब को देखते हुए परिवर्तन के अध्यधीन। | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क" राजपत्रित अलिपिकीय वर्गीय | 10,000-325-15,200 रु. | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति मामले में भी लागू है | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| भर्ती की प्रक्रिया क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति आमेलन और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | अगर भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जानी है तो किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रतिनियुक्ति में अल्पावधि शामिल है। | प्रतिनियुक्ति ( अल्पावधिक संविदे सहित ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनमें से किसी पर राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/स्वायत्त शासी/अर्ध सरकारी/सांविधिक संगठनों के अधिकारी<br>(क) (1) नियमित आधार पर सदृश पदों पर कार्य कर रहे हों, अथवा<br>(2) 8000-13500 रुपये के वेतनमान के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष अथवा<br>(3) 6500-10500 रुपये के वेतनमान के पदों पर 8 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष, और<br>निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों।<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष;<br>(2) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान अथवा रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान से सफलतापूर्वक उच्च प्रबन्ध सेवा पाठ्यक्रम अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समकक्ष प्रशिक्षण, अथवा<br>कार्य अध्ययन संगठन और पद्धति/विश्लेषणात्मक सांख्यिकीय/ प्रशासन अनुसंधान और अन्य प्रबन्ध अनुसंधान तकनीकियों को लागू करने में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान में सफलतापूर्वक मौलिक प्रबन्ध सेवा पाठ्यक्रम किया हो अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समकक्ष प्रशिक्षण लिया हो और कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति विश्लेषणात्मक सांख्यिकीय/प्रशासन अनुसंधान और अन्य प्रबन्धन अनुसंधान तकनीकियों को लागू करने में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।<br>केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि/प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित संविदा/इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयु की अधिकतम सीमा ( अल्पावधिक संविदे सहित ) आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अनधिक होगी। |

| क्या विभागीय पदोन्नति समिति की व्यवस्था है उसका गठन क्या है | वह परिस्थितियां जब भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए। |
|---|---|
| 13 | 14 |
| लागू नहीं | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[सं. ए-12018/1/99-एच. सं. 2/708/5/98]

New Delhi, the 5th April, 1999

G.S.R. 145.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1973 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Analyst in the Ministry of External Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number classification and scale of pay.—The number of post classification thereof and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Castes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Senior Analyst (Work Study) in the Ministry of External Affairs

| Name of Post | No. of Post(s) | Classification | Scale of Pay | Whether Selection by merit or selection-cum seniority or non-selection post | Age Limit for Direct Recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Senior Analyst (Work Study) | 01* (1999) | GCS Group 'A' Gazetted Non-Ministerial | Rs. 10000-325-15200 | N.A. | N.A. |

*Subject to variation depending on workload.

| Whether benefit of added years of service admissible | Education & Other qualifications reqd. for direct recruits | Whether age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any | Method of Rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation absorption & % of the posts to be filled by various methods |
|---|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Deputation including short term contract. |

| In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|
| (12) | (13) | (14) |
| Deputation (Including short term contract);<br>Officers under the Central Govt. failing which officers of the State Govts./UTs/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous/Semi-Govt./Statutory Organisations;<br>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or<br>(ii) With five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent; or<br>(iii) With eight years' regular service in posts in the scale of Rs. 6500-10500 or equivalent; and<br>(b) Possessing the following educational qualifications and experience;<br>(i) Degree from a recognised university or equivalent.<br>(ii) Have successfully completed the Advanced Management Service Course of the ISTM or Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other recognised institution; or<br>Have successfully completed the Basic Management Service Course of the ISTM or equivalent training in any other recognised institution and have three years' experience in the application of work study/organisation and methods/analytical/statistical/operating research and other management research techniques.<br>(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Deptt. of Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application). | N.A. | Consultation with UPSC necessary. |

[No. 2/Cad/99/No.Q/CAD/798/5/98]
DR. A.V.S. RAMESH CHANDRA, Dy. Secy.

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 146 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियमावली, 1999 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को क्षेत्र संकार्य प्रभाग, रा. प्र. सर्वे. सं., कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1999 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) 1994 की अनुसूची में निम्न-लिखित :—

(क) कालम 2 में मौजूद प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि के स्थान पर रखा जाए अर्थात् :— "40" (1999)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त अनुसार

(ख) कालम 4 में मौजूदा प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि को बदला जाएगा, अर्थात् :—
"4500-125-7000"

(ग) कालम 5 में मौजूदा शीर्षक हेतु निम्नलिखित शीर्षक को बदला जाएगा, अर्थात् :—
वरिष्ठता के आधार पर चयन अर्थात् मेरिट के आधार पर चयन।

(घ) कालम 11 में मौजूदा शीर्षक तथा प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित शीर्षक तथा प्रविष्टि बदले जाएंगे अर्थात्:—
भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

| 11 |
| --- |
| "प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा"। |

(ङ) कालम 12 में मौजूद शीर्षक तथा प्रविष्टि, निम्नलिखित शीर्षक तथा प्रविष्टि बदले जायेंगे अर्थात् :—
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किस ग्रेड से किया जाता है।

| 12 |
| --- |
| धारित केन्द्रीय सरकार अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति<br>क. (1) नियमित आधार पर सदृश पद अथवा<br>(2) 4000-6000 रु. के वेतनमान में अथवा समतुल्य पदों पर कम से कम ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा, अथवा<br>(3) 3050-4590 के वेतनमान में अथवा समतुल्य पदों पर ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा, तथा<br>ख. सीधी भर्ती हेतु कालम 8 में दी गई अर्हताएं रखना। |

[सं. एफ. ए.-12018/3/99-प्रशा. III]
रा. रवि., अवर सचिव

## MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(Department of Statistics and Programme Implementation)

New Delhi, the 29th April, 1999

G.S.R. 146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Field Operations Division, National Sample Survey Organisation, (Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Field Operations Division, National Sample Survey Organisation (Junior Hindi Translator) Recruitment (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Field Operations Division, National Sample Survey Organisation (Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1994:

(a) In column 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"40*

(1999)

*subject to variation dependent on work-load"

(b) In column 4, for the existing entry, the following heading shall be substituted, namely :—

"Rs. 4500-125-7000."

(c) In the column 5, for existing heading the following heading shall be substituted, namely :—

"Selection-cum-Seniority or Selection by Merit".

(d) In column 11, for the existing heading and entry, the following heading and entry shall be substituted, namely :—

"Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods"

| 11 |
| --- |
| "By deputation/absorption failing which by direct recruitment". |

(e) In column 12 for the existing heading and entry,

the following heading and entry shall be substituted, namely :—

"In case of Recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

12

Deputation from amongst Central Government officers holding :—

a (i) analogous posts on regular basis : or

(ii) posts in the pay scale of Rs. 4000-6000 or enquivalent with at least five years regular service in the grade; or

(iii) posts in the scale of Rs. 3050-4590 or equivalent with ten years regular service in the grade; and

(b) possessing the qualifications laid down in column 8 for direct recruitment.

[No. F.12018/3/99-Ad.III]

R. RAVI, Under Secy.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1999